Fifteenth Lok Sabha
V Session (26/07/2010 to 31/08/2010)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 जुलाई, 2010/4 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 87

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत; लोक सभा के वर्तमान सदस्य और बारहवीं एवं तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह और; छठी और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री राम सागर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से कारगिल युद्ध में भारत की विजय की ग्यारहवीं वर्षगांठ के अवसर पर उस युद्ध के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 29 जून, 2010 को हुए माओवादी हमले में अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 27 जवानों की मृत्यु और छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 विशेष पुलिस अधिकारियों सहित अन्य 7 लोगों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 मई, 2010 को हुए नक्सली हमले में 8 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु और छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में 16 मई, 2010 को हुए एक अन्य नक्सली हमले में गांव के सरपंच सहित 6 गांव वालों की मृत्यु के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने कर्नाटक के मंगलौर हवाई अड्डे के बाहर 22 मई, 2010 को हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई जहाज की दुर्घटना में 158 लोगों की मृत्यु के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पर संदिग्ध नक्सली हमले, जिसके कारण 28 मई, 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में इसकी एक मालगाड़ी से हुई टक्कर में 148 लोगों की मृत्यु हुई तथा 200 से अधिक लोग घायल हुए तथा 19 जुलाई, 2010 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जले में सैंथिया स्टेशन पर सियालदह जाने वाली उत्तरबंगा एक्सप्रेस की रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस के साथ टक्कर में 60 लोगों की मुत्यु हुई और 90 लोग घायल हुए, के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों में भारी वर्षा से आई विनाशकारी बाढ़, जिसके परिणामस्वरूप 51 लोगों की मृत्यु हुई और बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु और बड़े पैमाने पर फसल और संपत्ति की क्षति हुई, के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और सभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

3. प्रश्न

सभा को निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित किए जाने के कारण सभा में तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 11.13 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 27 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3181LS(S4)—26-07-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 जुलाई, 2010/5 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 88

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जोरा सिंह मान के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री साइना नेहवाल को तीन सुपर सीरिज बैंडमिटन टूर्नामेंट अर्थात् इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज, 2009, सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज, 2010; और इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज, 2010 जीतने, जिसने उनको विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है, और जो भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है, पर बधाई दी।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारत के महापंजीयक के कार्यालय में कम्प्यूटर के पद के वेतनमानों के संबंध में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम के अंतर्गत 1998 के सी॰ए॰ संदर्भ संख्या 1 में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के उपांतरण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2010 जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 216(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) झारखण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 1 जून, 2010 की उद्घोषणा के खण्ड (ग)(iv) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अंतर्गत 15 अप्रैल, 2010 को झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का झारखण्ड अध्यादेश संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 2010 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 2)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 2010 को प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 3)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 2 जुलाई, 2010 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 4)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 1 जून, 2010 की उद्घोषणा जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 460(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 1 जून, 2010 का आदेश, जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 461(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राष्ट्रपति को प्रस्तुत झारखण्ड के राज्यपाल के 31 मई, 2010 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2010 जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 349(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1330(अ) जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2010 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उर्वरक नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 987(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 1030(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 977(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) उर्वरक नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1230(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का॰आ॰ 1231(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले कस्टमाइज्ड उर्वरक की विनिर्दिष्टियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 1259(अ) जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 572(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(15) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2010 जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 907(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 3078(अ) जो 2 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 3082(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 3084(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडीगुल-थेणी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3086(अ) और का॰आ॰ 3087(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै-रामनाथपुरम-रामेश्वरम-धनुष्कोडि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 3105(अ) जो 4 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 3160(अ) जो 9 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलंदरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3218(अ) और का॰आ॰ 3229(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 67 (त्रिची–करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3233(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट–विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1008(अ) जो 4 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1012(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर–गोमती चौराहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1632(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर–गोमती चौराहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 16 अप्रैल, 2010 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2010;

(2) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2010;

(3) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010;

(4) वित्त विधेयक, 2010;

(5) तमिलनाडु विधान परिषद् विधेयक, 2010; और

(6) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010;

(2) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010;

(3) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2010; और

(4) राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2010

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का *160वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही के संशोधन के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने (एक) 'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु धनराशि' के बारे में संसद सदस्यों श्री मंगनी लाल मंडल, श्रीमती श्रुति चौधरी, डा॰ किरोड़ी लाल मीणा, श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी, श्री राजनाथ सिंह, डा॰ महेश जोशी, श्री प्रेमचन्द (गुड्डू), श्री ए॰ वेंकटरामी रेड्डी और श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के 27.4.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. समिति के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु

*प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 3(1) के अंतर्गत 21 जुलाई, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित की गई थी।

समिति की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त सदस्य श्री नन्द कुमार साय **के स्थान पर** राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010.

10. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 3) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा देश में पक्षियों, पशुओं और पादप प्रजातियों के निर्वापन रोकने के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मोरातराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गडचिरौली जिले में सभी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री किसनभाई वी॰ पटेल द्वारा गुजरात में वापी से गांधीनगर तक गुजरात क्वीन एक्सप्रेस (9109/9110) की सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली के नार्थ ईस्ट दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो परियोजना के तीसरे चरण में प्रस्तावित यमुना बैंक-शिव विहार लाइन शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ थोकचोम मैन्या द्वारा मणिपुर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 53 की मरम्मत और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बु द्वारा तमिलनाडु में तिरूचैन्दुर से चेन्नई तक कॉर्ड लाइन के जरिए रोजाना तिरूचैन्दुर एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) प्रो॰ रामशंकर द्वारा आगरा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए शहर में यमुना नदी पर एक बैराज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ महेन्द्र सिंह पी॰ चौहाण द्वारा साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के विकास के लिए वहां उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बोकारो, झारखण्ड में कोयला ब्लॉकों के कथित आवंटन की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा कानपुर-बिल्हौर-कन्नौज-एटा-बेवर-अलीगढ़-बुलंदशहर-गाजियाबाद-दिल्ली जी.टी. रोड को चौड़ा करके चार लेन वाला बनाने तथा सड़क दुघटनाओं के पीड़ितों के लिए मार्ग पर ही समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा जिला, बिहार के बड़की ऑट गांव में अर्थक्रस्ट में दरार होने तथा 60 घरों को हुए नुकसान के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने तथा पीड़ितों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिल को भारत की एक आधिकारिक भाषा बनाए जाने तथा चेन्नई, तमिलनाडु में इंडियन नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एपीग्राफी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा केरल में अधिकृत फुटकर डीलरों के माध्यम से गरीब परिवारों को आवश्यक वस्तुएं वितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री यशवंत एन॰एस॰ लागुरी द्वारा देश में जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करके नक्सलवाद के प्रसार को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पूरे दिन के स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा बुधवार, 28 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3231LS(S4)—27-07-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 28 जुलाई, 2010/6 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 89

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सदस्यों द्वारा प्रश्न काल के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई और आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, के बारे में स्थगन प्रस्ताव की अपनी सूचनाओं संबंधी निवेदन किए जाने के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. सदस्यों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई और आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना संबंधी निवेदन।

निम्नलिखित सदस्यों ने उपर्युक्त विषय पर निवेदन किया—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव

5. श्री बसुदेव आचार्य

6. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई

7. श्री नामा नागेश्वर राव

8. श्री गुरूदास दासगुप्त

9. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल

10. श्री सुदीप बंदोपाध्याय

11. श्री लालू प्रसाद

12. श्री अर्जुन चरण सेठी

13. श्री टी॰आर॰ बालू

14. श्री प्रणब मुखर्जी

अपराह्न 12.32 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टि्टयूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टि्टयूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष के निदेश में एक नए निदेश 51क का जोड़ा जाना

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी एक नए निदेश 51क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक में "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 'संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009' के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराह्न 12.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया:—

''माननीय सदस्यों, मुझे सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र यादव, श्रीमती सुषमा स्वराज, सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, नरहरि महतो, मनोहर तिरकी, डॉ॰ रामचन्द्र डोम, पी॰ करूणाकरन, बसुदेव आचार्य, योगी आदित्यनाथ, नामा नागेश्वर राव, शरद यादव, डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई और दारा सिंह चौहान द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई जिससे आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है और मैंने सभा में उनकी चर्चा पूरी तरह सुनी है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया मुद्दा नि:संदेह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आम आदमी को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे के बारे में माननीय सदस्यों की चिंता की सराहना करती हूं। यह अध्यक्ष के लिए भी चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर सभा को इस पर चर्चा करने का अधिकार है। प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राह्य है अथवा नहीं।

स्थगन प्रस्ताव संविधान एवं विधि द्वारा सरकार को प्रदत्त व्यादेश से जनित कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी असफलता पर ही गृहीत किया जाता है। मेरे प्रख्यात पूर्ववर्ती श्री जी॰ एस॰ ढिल्लों ने अपने एक विनिर्णय में इस बिंदु पर बल दिया था। मैं उद्धृत करती हूं—

''स्थगन प्रस्ताव सरकार पर चर्चा तभी की जा सकती है जब सरकार पर विफल होने का आरोप लगे, अर्थात् उन कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता जो संविधान तथा विधि द्वारा सरकार को प्रदत्त होती हैं।''

वर्तमान मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जिसके गुण-दोष पर अध्यक्ष द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, और यह सरकार की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के अंतर्गत आता है जिस पर सदन को चर्चा करने का पूर्ण अधिकार है। स्थगन प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब सरकार अपने संवैधानिक अथवा वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। यहां यह मामला नहीं बनता है। तथापि, मूल्य सुधार उपाय लागू करने का निर्णय जो आम आदमी को प्रभावित करता है, पर सभा चर्चा कर सकती है और ऐसा किए जाने की आवश्यकता है। जब कभी भी माननीय सदस्य चर्चा के अन्य प्रकार की सूचना देंगे, मैं उन पर विचार करूंगी।

अत:, मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत करती हूं।''

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल राज्य के लिए आबंटित किरोसीन के कोटा में कटौती करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा लातूर–मुंबई और लातूर–हैदराबाद मार्गों पर ट्रेन संख्या 1005/1006 और 7013/7014 में अतिरिक्त वातानुकूलित कोच लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पी॰ सी॰ चाको द्वारा देश में नारियल और अन्य खाद्य तेलों के लिए मूल्य राजसहायता योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदिम्बका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस का प्रसार रोकने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार और वृद्धि की मांगों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰ पक्कीरप्पा द्वारा कर्नाटक के रायचूर जिले में येरमारूस रेलवे स्टेशन में एक नया गुड्स शेड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रमेन डेका द्वारा असम के कामरूप जिले में दागांव में असम इस्पात संयंत्र का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा देश में सीवर और मेनहोल की सफाई, की सफाई में लगे कामगारों के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए एक विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम किशुन द्वारा उत्तर प्रदेश में चंदौली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और रेल सेवाओं के विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल में पालक्काड़ रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की सालेम रिफैक्ट्री यूनिट के कर्मचारियों को स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों के समतुल्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जोस के॰ मणि द्वारा देश में प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

10. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय: 2 घंटे
लिया गया समय-1 मिनट
शेष-1 घंटा 59 मिनट

श्री अजय माकन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 1 जून, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के संबंध में जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।''

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 जुलाई, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3278LS(S4)—28-07-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 जुलाई, 2010/7 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 90

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री मोहन लाल झिकराम और तीसरी लोक सभा के सदस्य श्री शिव चरण गुप्ता के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा

के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2010 जो 8 अप्रैल, 2010 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 290 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2010 जो 28 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 452(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की क्षमता निर्धारण) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 476(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (फीस, तथा अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 477(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए सत्ताओं को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 478(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क टैरिफ का निर्धारण तथा सीएनजी के लिए कम्प्रेशन प्रभार) संशोधन विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए सत्ताओं को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जितिन प्रसाद ने पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 28 जुलाई, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री कमल किशोर द्वारा उत्तर पूर्व रेलवे के बहराईच–नानपुरा–रूपैडीहा रेलवे खण्ड पर आमान परिवर्तन कार्य हेतु निधियों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सिरिसिल्ला राजय्या द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु अनुदानों के आबंटन और कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक पृथक संस्थानिक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा देश में विशेषकर हैदराबाद में सीएनजी आधारित वाहनों को चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री पी॰ बलराम नाईक द्वारा आन्ध्र प्रदेश के भद्रचलम और वारंगल जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री एस॰के॰ शेटकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के जहीराबाद और मेडक क्षेत्र में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पाकिस्तान से विधिमान्य वीजा पर आए हिन्दू/सिक्ख नागरिकों को निवास अधिकार और पहचान पत्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुरेश अंगड़ी द्वारा कर्नाटक में बगदाद असमारा फायरिंग रेंज को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के कनिष्ठ अभियंताओं को सब-डिविजनल ऑफिसर पद पर पदोन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्याह्न भोजन बनाने के कार्य में लगे कामगारों की मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ भोला सिंह द्वारा पूर्व मध्य रेलवे जोन के राजगीर-तिलैया रेलखंड को कोडरमा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के बैकलॉग को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन द्वारा तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरों, जिन पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमला किया जा रहा है, को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

8. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

लिया गया समय : 2 मिनट

श्री अजय माकन द्वारा 28 जुलाई, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा झारखण्ड राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1 जून, 2010 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 *जुलाई,* 2010 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3319LS(S4)—29-07-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2010/8 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 91

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 81—100 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हलद्वानी

(दो) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इन्दौर

(तीन) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

(चार) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(पांच) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

(छह) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

(सात) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा

(आठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

(नौ) वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, सोलापुर

(दस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

(ग्यारह) रीवा सिद्धी ग्रामीण बैंक, रीवा

(बारह) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

(तेरह) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

(चौदह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

(पन्द्रह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुन्टूर

(सोलह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरुच

(सत्रह) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

(अठारह) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधुनगर

(उन्नीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन का सारांश।

(3) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत ''रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं'' वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपये और

पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 455(अ) जो 28 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2010 को उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) के प्रयोजनों की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 854(अ) जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन० टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 984(अ) जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 990(अ) जो 30 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 1239(अ) जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 1112(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 1260(अ) जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 1435(अ) जो 15 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 1551(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 1560(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा शुल्क टैरिफ (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सरकारों तथा भारत गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार करार के अंतर्गत वस्तुओं के उद्भव का अवधारण) दूसरा संशोधन नियम, 2010 जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 456(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 307(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 100/89-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 308(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 362(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 363(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 364(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 392(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रॉ कॉटन पर प्रभावी निर्यात शुल्क 2500 रु॰ प्रति टन विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 393(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 25/2010-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 394(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 26/2010-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 399(अ) जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 9/1995-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 402(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 405(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 470(अ) जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 484(अ) जो 8 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 552(अ) जो 23 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 353(अ) जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰, (एन॰टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 464(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 515(अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰,(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा॰का॰नि॰ 590(अ) जो 15 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा॰का॰नि॰ 704(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकत्तीस) सा०का०नि० 719(अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 26/2010-सी०शु०, (एन०टी०) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा०का०नि० 720(अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०, (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2010, जो 11 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1056(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) औद्योगिक पार्क (संशोधन) स्कीम, 2010, जो 21 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1210(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2010, जो 21 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1211(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2010, जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1638(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 84 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 543(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2010 को वित्त अधिनियम, 2010 के अध्याय सात के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 544(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के कतिपय उपबंधों को अधिसूचित करना है ताकि उन्हें स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण

तथा संग्रहण के लिए तंत्र उपबंधों के रूप में लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 545(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वच्छ ऊर्जा उप-कर की प्रभावी दर को 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 546(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चा कोयला, कच्चा लिग्नाइट तथा कच्चा पीट से भिन्न सभी माल को स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है बशर्ते कि उक्त उप-कर का संदाय कच्चे चरण पर किया गया हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 547(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेघालय राज्य में स्थानीय जनजातियों को प्राप्त परंपरागत और प्रथानुगत अधिकारों के अनुसार निष्कर्षित सभी माल को स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) स्वच्छ ऊर्जा उप-कर नियम, 2010 जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 548(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 557(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (105) के खण्ड (ययग) और (यययय) में उल्लिखित सेवाओं से भिन्न वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 76 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 558(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 559(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड 105 के उपखण्ड

(ययथ) में उल्लिखित वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण की कर योग्य सेवा जब पूर्णत: पत्तन अथवा अन्य पत्तन के भीतर व्हावर्स, क्वेज, डॉक्स, स्टेजेज, जेट्टीज, पियर्स और रेलवे निर्माण मरम्मत, परिवर्तन तथा नवीकरण के लिए प्रदान की जाती है तब उसे छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 561(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (कठिनाई दूर करना) आदेश, 2010 जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 529(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 531(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राष्ट्रीय मार्गस्थ यात्रियों तथा क्रू सदस्यों को सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 532(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के मामले में संदेय सेवा कर की राशि नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 533(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आठ पूर्वोत्तर राज्यों में आने तथा जाने तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बागडोगरा स्थित विमानपत्तन पर विमान यात्रा को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 534(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय परिसर के निर्माण को कर योग्य सेवा से तब छूट प्रदान करना है जब वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन तथा राजीव आवास योजना के लिए दी जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 535(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 536(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशिष्ट खेल कार्यक्रमों को प्रायोजन सेवा से मुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 537(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पत्तन अथवा विमानपत्तन के भीतर प्रदान किए जाने पर विशिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 538(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वितरण अनुज्ञापक अथवा वितरण फ्रेंचाइजी अथवा विद्युत अधिनियम में विद्युत के संवितरण हेतु अधिकृत किसी दूसरे व्यक्ति अथवा विद्युत के संवितरण हेतु प्रदत्त कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 539(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 540(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 541(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 565(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मॉड्यूलर इम्प्लायेबल स्किल पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में दिए जाने पर वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उपखण्ड (ययग) में संदर्भित कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 562(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी पत्तन अथवा अन्य पत्तन अथवा विमानपत्तन के भीतर पूर्णत: दिए जाने पर कतिपय विशिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 563(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्णत: विमानपत्तन के भीतर दिए जाने पर वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड 105 के उपखण्ड (ययथ) में संदर्भित वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण की कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 570(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 13/2008 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेनवैट क्रैडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 542(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवैट क्रैडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 29 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 565(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 356(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 357(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 358(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 2/2008-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 359(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 360(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 361(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 390(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 391(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 18/2010-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 471(अ) जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 319(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ जर्दा सुगंधित तम्बाकू को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेवन योग्य तम्बाकू तथा अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 320(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 321(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 549(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 91 और 93

के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाए जाने योग्य सभी वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 550 (अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 और 138 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाए जाने योग्य सभी वस्तुओं को उच्चत्तर शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 311(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 76/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 312 (अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 85/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 313(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के रिकार्डेबल डीवीडी के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 314(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सर्कुलर बुनाई मशीन जिसमें 30 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े पीपी/एचडीपीई फैब्रिक की बुनाई हेतु छह अथवा छह से अधिक शटल्स हो के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 315 (अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए फ्रंट एक्सी बीम तथा स्टीयरिंग नकल्स के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 334(अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के 1, 1, 1, 2–टेट्राफ्लूरोथन के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 335(अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैंड और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 373(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट समीक्षा निष्कर्षों में पदाभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पॉलीटेट्राफ्लूरोईथीलीन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञाापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 374(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 2/2010–सी॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 524(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइमिथाइल फॉस्फाइट के आयात पर पांच वर्ष के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 553(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पॉली बिनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन जिसे इमल्सन पीबीसी रेजिन भी कहा जाता है, के आयात पर सनसेट समीक्षा निष्कर्षों में पदाभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसरण में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 554(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 115/2009-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 569(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 37/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 588(अ) जो 7 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाईइथाइल थाई फॉस्फोरिल क्लोराइड के आयात पर पांच वर्ष के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰का॰नि॰ 598(अ) जो 14 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन से आयात किए जाने पर "ग्लास फाइबर" पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 556(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महानिदेशक (सुरक्षा) की समीक्षा निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के आयात पर अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 19 अप्रैल, 2011 तक 16% मूल्यानुसार की दर से सुरक्षा शुल्क लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा (5) की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 430(अ) जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में हथकरघा, कॅयर उत्पाद, रसायन से संबंधित टैरिफ प्रविष्टि में कतिपय परिवर्तन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 के अंतर्गत जारी भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमन, 1949 में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या 13 जो 2 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 530(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जब वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 76 के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 884(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जनहित में ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 10क के अंतर्गत मोटापा घटाने वाली दवा रिमोनैबेंट के आयात को प्रतिषेधित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 885(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जनहित में ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत मोटापा घटाने वाली दवा रिमोनैबेंट के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषेधित किया गया है।

(17) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' विषय पर प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. प्राक्कलन समिति का विवरण

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के खण्ड-II का मुद्रण रोक दिया जाना' विषय पर प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 146वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 संबंधी 223वां प्रतिवेदन; और

(2) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 संबंधी 224वां प्रतिवेदन।

---

*प्रतिवेदन 23 जून, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को भी अग्रेषित की गई थी।

#प्रतिवेदन 28 जून, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए थे और उसी दिन लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए थे।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) डा॰ चरण दास महन्त द्वारा 12.3.2010 को 'जनजातियों की सुरक्षा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 पर दिए गए उत्तर के हिन्दी संस्करण में शुद्धिकरण किए जाने तथा (दो) उत्तर के शुद्धिकरण में हुए विलम्ब के कारण के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 2 अगस्त, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में वक्तव्य दिया।

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

(व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.07 बजे

(लोक सभा सोमवार, 2 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3355LS(S4)—30-07-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 अगस्त, 2010/11 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 92

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2010 जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 428(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंशिल), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंशिल), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) रक्षा मंत्रालय तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त मद संख्या (5) से (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2010 जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 523(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010 जो 4 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-4/2000-ए एण्ड पी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन के संलग्नक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) अधिसूचना संख्या एफ संख्या 116-5/2009-एमएन जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी पर पोर्ट ट्रांजक्शन चार्ज एण्ड डीपिंग चार्ज रेगुलेशन्स, 2009 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के शुद्धिपत्र की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) दी गई है।

4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री निनोंग ईरींग ने लोक वित्तपोषित बौद्धिक संपदा संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'चमड़ा उद्योग का विकास' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जी॰के॰ वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जी॰ के॰ वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*प्रतिवेदन 28 जून, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

शत्रुसंपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

9. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश (2010 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.06 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री शरद यादव
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री मुलायम सिंह यादव

श्री पी॰ चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.23 बजे

(दो) उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले के सकलडीहा पुलिस स्टेशन में हिरासत में एक दलित युवक की कथित मृत्यु के बारे में

श्री रामकिशुन ने उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले के सकलडीहा पुलिस स्टेशन में हिरासत में एक दलित युवक की कथित मृत्यु के बारे में निवेदन किया:—

श्री पी॰एल॰ पुनिया सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.03 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 1.04 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में नेशनल एग्रीकल्चरल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (नेफेड) के माध्यम से किसानों के कृषि उत्पादों की खरीद की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में ''मॉडल स्कूलों'' की स्थापना के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की बकाया राशि को बट्टे खाते डाले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री किसनभाई वी॰ पटेल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुजरात के वलसाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भदेली और भागल के बीच क्रीक के ऊपर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के किसानों को बैंकों से ऋण लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री एल॰ राजगोपाल द्वारा देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री हरिभाऊ जावले द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रहस्यमय वायरल बीमारी फैलने को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) डा॰ राजन सुशांत द्वारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा उत्तराखण्ड में किए जा रहे विकास कार्यों हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री अशोक अर्गल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 92 पर ग्वालियर–इटावा खण्ड पर सड़क निर्माण की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) डा॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के चीनी मिलों विशेषकर नवादा के वार्सलीगंज चीनी मिल को एथनॉल के लिए संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस और अन्य यात्री गाड़ियों का ठहराव दिए जाने और मिर्जापुर एवं लखनऊ के बीच एक नई इंटरसिटी ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार विशेषकर नालन्दा के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने और जूट खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सहित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पंजाब से राजस्थान को पानी का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 2.04 बजे

12.# सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 18 जून, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् जैसाकि पैरा 13 में नीचे दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

13.# सरकारी विधेयक—पारित

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखें उपरोक्त पैरा 12) तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री मनीष तिवारी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार

#एक साथ चर्चा की गई।

4. श्री शेख सैदुल हक
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री चंद्रकांत खैरे
7. श्री विजय बहादुर सिंह
8. श्री एस॰ सेम्मलई
9. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
10. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.18 बजे

14. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 2 मिनट

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री भक्त चरण दास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री मंगनी लाल मंडल

6. श्री एडवोकेट ए॰ सम्पत
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री आनंदराव अडसुल
9. श्री एस॰ सेम्मलई
10. श्री प्रबोध पांडा
11. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
13. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 33 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.20 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 3 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3413LS(S4)—02-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 अगस्त, 2010/12 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 93

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.40 *बजे पुन: समवेत हुई)*

पूर्वाह्न 11.40 बजे

2. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने दिल्ली की अनुसूचित जाति उप योजना की निधियों का अपयोजन राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री शरद यादव और श्री लालू प्रसाद सहयोजित हुए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

3. पूर्वाह्न 11.52 बजे, अध्यक्ष ने सभा की राय ली कि प्रश्न काल के शेष भाग को छोड़ दिया जाए।

सभा सहमत हुई।

4. आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.54 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1944 की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 352(अ) जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 737(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामुद्रिक मत्स्यन विनियम, 2003 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामुद्रिक मत्स्यन (संशोधन) नियम, 2010 जो 15 जनवरी, 2010 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23/2010/एफ॰ सं॰ 3-38/2008-09/टीएस/डीएफ में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सामुद्रिक मत्स्यन (संशोधन) नियम, 2009 जो 22 जुलाई, 2009 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में

अधिसूचना संख्या 90/2009/एफ॰ सं॰ 3-85/2008-09/टीएस/डीएफ में प्रकाशित हुए थे तथा उसके विलंब का विवरण।

(5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेन्ट कमांडेन्ट (ऑफिस) और असिस्टेन्ट कमांडेन्ट (स्टाफ ऑफिसर) (समूह 'क' पदों) भर्ती नियम, 2010, जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 414(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असिस्टेन्ट कमांडेन्ट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2009, जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह 'क' पद (अधिशासी संवर्ग) भर्ती नियम, 2010, जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 326(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धिपत्र दिनांक 3 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 368(अ) में दिया गया है।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' अधिशासी संवर्ग) भर्ती संशोधन नियम, 2010, जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2010, जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) हिन्दी के प्रसार और विकास में तेजी लाने तथा संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग हेतु कार्यक्रम तथा वर्ष 2008-2009 में इसके कार्यान्वयन के बारे में चालीसवें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 446(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सशस्त्र सीमा बल, स्टोर कीपर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ग' कास्टेबल (चालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010, जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 8)—संघ सरकार (रेल)।

(दो) निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 3)—संघ सरकार (सिविल)।

(तीन) अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 9)—संघ सरकार (सिविल)।

(चार) भारतीय थल सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्ध की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 6)—संघ सरकार (रक्षा सेवा-थल सेना)।

(पांच) वायुसेना और नौसेना के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11 का संख्यांक 7)—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)।

(12) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(15) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 348(अ)/आ॰व॰/चीनी जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें उल्लिखित 68 चीनी मिलों में वर्ष 2009-10 के चीनी सीजन के लिए मिल-वार कीमत और गन्ने के लाभकारी मूल्य के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 518(अ)/आ॰व॰/चीनी जो 17 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें उल्लिखित 19 चीनी मिलों में वर्ष 2009-10 के चीनी सीजन के लिए मिल-वार कीमत और गन्ने के लाभकारी मूल्य के बारे में है।

(तीन) चीनी (वर्ष 2009-10 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2010 जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 527(अ)/आ॰व॰/चीनी में प्रकाशित हुए थे।

(16) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2008-2009 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित

लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 551(अ) जो 23 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 632(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1480(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3267(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बजट, लेखापरीक्षा, धनराशि का निवेश और परिसर में प्रवेश की शक्ति) संशोधन नियम, 2010 जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 748(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैरवी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 333(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 474(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 331(अ) और का॰आ॰ 332(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 322(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 323(अ) और का॰आ॰ 324(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 325(अ) और का॰आ॰ 326(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा–करनूल खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 140(अ) जो 20 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (विस्तार) (डिंडीगुल–थेनी–कुमुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 181(अ) जो 25 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर–सेलम–मदुरै खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 367(अ) जो 16 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰ आ॰ 752(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुत्तनी–चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰ आ॰ 3210(अ) जो 15 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची–करूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰ आ॰ 3088(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम–उलून्दुरपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰ आ॰ 3083(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई पोट–मदुरावोयल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰ आ॰ 3265(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलोर-सेलम-मदुरै खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰ आ॰ 3085(अ) जो 3 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰ आ॰ 3263(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰ आ॰ 3113(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिल्कालुरीपेट-विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰ आ॰ 3253(अ) जो 21 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰ आ॰ 3294(अ) जो 24 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰ आ॰ 3168(अ) जो 10 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिल्कालुरीपेट-विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰ आ॰ 102(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5

(रुद्रकोट–नेल्लोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰ आ॰ 103(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिल्कालुरीपेट–रुद्रकोट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰ आ॰ 104(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (टाटापुडी–मुरीकीपुडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰ आ॰ 105(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 3060(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का॰ आ॰ 106(अ) जो 18 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2944(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰ आ॰ 170(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाईस) का॰ आ॰ 173(अ) जो 22 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा–करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰ आ॰ 310(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम–कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰ आ॰ 315(अ) जो 10 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकत्तीस) का॰ आ॰ 481(अ) जो 25 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (चित्तूर-करनूल मार्ग खंड) के चित्तूर-करनूल मार्ग पर मार्ग उपरि पुल तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰ आ॰ 489(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰ आ॰ 494(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 501(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 504(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-करनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 668(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 676(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1101(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन॰ई॰-II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे) (गौतमबुद्धनगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1048(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 76 (झांसी-खजुराहो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1166(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1200(अ) जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1288(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 810(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है। (केवल हिन्दी संस्करण)।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1360(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2853(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का॰आ॰ 1361(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 940(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1362(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2837(अ) और 11 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 579(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का॰आ॰ 1442(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1445(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1535(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1538(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 1546(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 799(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 884(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तनी-चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 886(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66

(टिंडीवनम–कृष्णागिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 889(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तनी–चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 883(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2083(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का॰आ॰ 891(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के त्रिची बाइपास सहित) (त्रिची–कराईकुडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 908(अ) जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम–कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 973(अ) जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाई पास (फेज–II) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 962(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम–कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 972(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49

(बाई पास सहित) (मदुरै–रामनाथपुरम–रामेश्वरम–धनुष्कोडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि अर्जित करने हेतु जिला राजस्व अधिकारी, मदुरै को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 974(अ) और का॰आ॰ 975(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम–उलुंडूरपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 1017(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम–कौरू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 893(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम–कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौसठ) का॰आ॰ 809(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टनम–तंजावूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1283(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूत्तनी–चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

6. विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति — एक सारांश

महासचिव ने ''विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति (2008–2009) — एक सारांश'' की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भारत में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी समिति (2008-09) के 47वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) 'अपर्याप्त मानसून और कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम' के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने 'रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन #(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री रेवती रमण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से श्रीमती मोहसिना किदवई का कार्यकाल पूरा होने के कारण उत्पन्न रिक्ति के फलस्वरूप एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* ये प्रतिवेदन, अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत क्रमश: 17 जून और 13 जुलाई, 2010 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

प्रतिवेदन, अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 2 जुलाई, 2010 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत नौवें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-11

श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड)—2010-11

श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2010-11 के लिए झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ और नागपुर क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद द्वारा तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वन्य पशुओं के खतरे के कारण जिन किसानों की जानें गई एवं फसलें नष्ट हुईं, उन्हें क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश का लाभ दिए जाने हेतु मसौदा कर संहिता के प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डा॰ चरण दास महंत द्वारा छत्तीसगढ़ और देश के अन्य भागों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत नि:शक्तता/वृद्धावस्था पेंशन की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में खड़ी फसलों को 'नील गाय' के खतरे से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा देश के वन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना की स्थापना के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) प्रावधानों को समाप्त करने के लिए एक विधान अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच और नमादा जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा असम के बराक वैली में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के मलिदाहर-चुरईबाड़ी खंड पर सड़क के समुचित मरम्मत और रखरखाव के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जठवाड़ा-कुंडा और गेथवाड़ा-लालगोपाल गंज की सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि से चौड़ा करने और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भीष्मशंकर *उर्फ* कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी पर कम्हरिया घाट पर एक पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के तिरूवन्नमलई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनजातियों को उनके परंपरागत व्यवसाय हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आरक्षित वन नियमों और विनियमों में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) प्रो॰ शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा तीस्ता नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और इसे शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी द्वारा असम के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर दक्षिण और पश्चिम की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

मध्याह्न 12.00 बजे

लिया गया समय: 7 घंटे 36 मिनट

15. प्रस्ताव

श्रीमती सुषमा स्वराज ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और आम आदमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे।''।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संदीप दीक्षित

(लोक सभा अपराह्न 1.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.01 बजे

2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. डा॰ बलीराम
4. श्री शरद यादव
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
6. श्री टी॰आर॰ बालू
7. श्री लालू प्रसाद
8. श्री तथागत सत्पथी
9. श्री आनंदराव अडसुल
10. डा॰ एम॰ तम्बिदुरई
11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री रमेश राठौड़

*13. डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

*14. डा॰ वीरेन्द्र कुमार

*15. श्री राकेश सिंह

*16. श्री रमाशंकर राजभर

*17. श्री खगेन दास

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*18. श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा
19. श्री घनश्याम अनुरागी
*20. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
*21. डॉ॰ थोकचोम मैन्या
*22. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
23. श्री बसुदेव आचार्य
*24. श्री शैलेन्द्र कुमार
*25. श्री प्रेम दास
*26. श्री अशोक अर्गल
*27. श्री एस॰ सेम्मलई
28. श्री संजय सिंह चौहान
*29. श्री प्रेम दास राय
30. श्री पी॰सी॰ चाको
*31. श्री पी॰ कुमार
32. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
33. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
*34. श्री पी॰टी॰ थॉमस
*35. श्री गणेश सिंह
36. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
37. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
38. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र
39. श्री जगदम्बिका पाल
*40. श्री हरिभाऊ माधव जावले
41. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी
42. श्री नीरज शेखर
*43. श्री अर्जुन मेघवाल
44. श्री धनंजय सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

45. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
46. श्रीमती दीपा दासमुंशी
*47. डॉ॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
*48. श्री सी॰आर॰ पाटिल
49. श्रीमती जया प्रदा
50. श्री मधु कोड़ा
*51. श्री पी॰एल॰ पुनिया
*52. श्री एम॰आई॰ शानवास
*53. श्री पी॰के॰ बीजू
54. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
55. श्री हंसराज गं॰ अहीर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.30 बजे

(लोक सभा बुधवार, 4 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—3458LS(S4)—03-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 अगस्त, 2010/13 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 94

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्री सचिन तेंदुलकर को कोलम्बो में श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट मैच श्रृंखला में 169वां टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बनने पर बधाई दी।

उन्होंने सभा की ओर से भारतीय कैरम टीम को भी श्रीलंका के कोलम्बो में आयोजित 14वें सार्क कैरम चैम्पियनशिप में जीत हासिल करने पर बधाई दी।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुन: समवेत हुई)*

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री नामा नागेश्वर राव ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बाभली परियोजना में अवैध रूप से फाटकों के निर्माण के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.13 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विज्ञान और अभियंत्रण अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 22 के अंतर्गत विज्ञान और अभियंत्रण अनुसंधान बोर्ड नियम, 2010 जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 213(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केन्द्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकद भुगतान के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य मध्यस्थता के अंतर्गत माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए माध्यस्थम बोर्ड अवार्ड, 1986 के सीए संदर्भ संख्या 3 को अस्वीकृत किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1329(अ) जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में, उसमें उल्लिखित लुप्तप्राय पादप और जंतुओं की प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एप्लायड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लद्दाख के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्), पटना के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्), पटना के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोकराझार के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन्स (प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन्स (प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का॰आ॰ 750(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हक होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को अकादमिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(दो) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 301(अ) में प्रकाशित हुए थे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 3 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ ज्योति मिर्धा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे:—

(1) तीन टीका उत्पादक सरकारी उपक्रमों अर्थात् सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआई), कसौली, पास्टर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पीआईआई), कून्नूर और बीसीजी वैक्सिन लेबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई से संबंधित प्रमुख मुद्दों के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट इसकी सिफारिशों तथा टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

(3) जेनेरिक, जेनेरिक-ब्रांडेड तथा ब्रांडेड दवाओं की उपलब्धता, उनका निर्माण तथा चिकित्सीय क्षमता तथा प्रभाव से संबंधित मुद्दों के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डा॰ ज्योति मिर्धा ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

10. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मनीष तिवारी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(2) "अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सरकार की नीति" के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उत्तरों के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जयराम रमेश ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ड की उपधारा (3) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शेष अवधि के लिए अर्थात् 3 सितम्बर, 2012 तक श्री जितेन्द्र सिंह, जिन्होंने प्राधिकरण से त्यागपत्र दे दिया है, *के स्थान पर* उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन ऐसी रीति से जो अध्यक्ष निदेश करे, प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.17 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर जिले के समग्र विकास के लिए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कमल किशोर कमांडो द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*सायं 5.00 बजे

(3) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु में एगमोर रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों की सेवाएं जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में नांगनगुड रेलवे स्टेशन पर रेल अंडर ब्रिज के जारी निर्माण कार्य को पूरा करने में तेजी लाए जाने के अलावा मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा देश में अफीम की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अफीम की प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री डी॰ बी॰ चन्द्रे गौडा द्वारा कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, बीदर और कोप्पल क्षेत्रों में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन कर इन क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा 'ऑनलाइन जुआ' की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु में त्रिची और चेन्नई के बीच चलने वाली रॉक फॉर्ट एक्सप्रेस का प्रचालन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

मध्याह्न 12.18 बजे

14. प्रस्ताव

लिया गया समय: 8 घंटे 54 मिनट

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 3 अगस्त, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और आम आदमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

*1. श्री हसन खान

*2. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

3. श्री प्रणब मुखर्जी

श्रीमती सुषमा स्वराज ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:—

''यह सभा, देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव पर विचार करने के पश्चात्, सरकार से आग्रह करती है कि वह आम आदमी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आगे प्रभावी कार्रवाई करे।''

सभा संकल्प से सहमत हुई।

(लोक सभा अपराह्न 1.27 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.32 बजे

15. प्रस्ताव

लिया गया समय: 5 घंटे 53 मिनट

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे पर विचार करे।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री नवीन जिन्दल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री सुशील कुमार सिंह
6. श्री अब्दुल रहमान
7. डॉ॰ अनुप कुमार साहा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*8. श्री नारनभाई कछाड़िया

*9. श्री एस॰ सेम्मलई

*10. श्री वीरेन्द्र कुमार

11. श्री भर्तृहरि महताब

*12. श्री सी॰आर॰ पाटील

*13. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

14. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

15. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले

*16. श्री हसन खान

17. श्री सी॰ शिवासामी

*18. श्री जगदम्बिका पाल

*19. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू

*20. डा॰ संजीव गणेश नाईक

*21. श्री पी॰ कुमार

22. श्री योगी आदित्यनाथ

*23. श्री घनश्याम अनुरागी

24. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

25. श्री जयंत चौधरी

*26. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

27. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

*28. श्री हंसराज गं॰ अहीर

29. श्री पी॰ लिंगम

30. श्री जगदानन्द सिंह

31. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

32. श्री अधीर रंजन चौधरी

33. श्री नरहरि महतो

34. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

35. डा॰ संजय जायसवाल

36. डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

37. श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल

38. श्री विजय बहादुर सिंह

39. श्री कमल किशोर 'कमांडो'

40. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

41. श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद

42. डा॰ प्रभा किशोर ताविआड

*43. श्री नारायण सिंह अमलाबे

44. श्री रमाशंकर राजभर

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

रात्रि 8.32 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 5 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—3510LS(S4)—04-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 अगस्त, 2010/14 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 95

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—163 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 164—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक 2)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) प्रस्तुत किया जाना।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 का संख्यांक 9)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2010-11 का संख्यांक 10)—मार्च, 2009 में समाप्त हुए वर्ष के लिए चयनित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सचिव एवं अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अन्य निबंधन व सेवा शर्तें और ऐसे अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या) संशोधन नियम, 2010 जो 22 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा अधिवाक्, सचेतता एवं प्रशिक्षण के संवर्धन हेतु किए गए उपायों के बारे में विवरणी) (संशोधन) नियम, 2010 जो 24 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

(तीन) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 3 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में 3 मई, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने ''परम्परागत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिल्पकारों को वित्तीय सहायता तथा सुरक्षा के लिए प्रावधान'' विषय पर 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा, सातवां, आठवां और नौवां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री टी॰आर॰ बालू ने रेल सबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2008-2009' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(2) 'योजना निष्पादन तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना अनुमान की समीक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(3) 'विशेष रेल संरक्षा निधि की समीक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

(4) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2009-2010' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अन्नू टन्डन ने 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकरण' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने कार्य मंत्रणा समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

11. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने हाल ही में देश में ''ऑनर किलिंग'' की बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के भी उत्तर दिये।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने भी निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''....मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यह संतोष की बात है कि ऑनर किलिंग पर चर्चा हुई है। मुझे बहुत चिंता है और यह सभा भी इस बात से चिंतित है कि युवा लोग मारे

जा रहे हैं और वे उनके द्वारा मारे जा रहे हैं जिनको उन्हें प्यार करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह अमानवीय प्रक्रिया है। मैं समझती हूं कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमने यह किया है।''

12. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

13. अध्यादेश के बारे में विवरण — सभा पटल पर रखा गया

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश (2010 का संख्यांक 2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.51 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *देश में सरकारी संस्थाओं के लापरवाह रवैये की वजह से उर्दू समाचार पत्रें द्वारा सामना की जा रही स्थिति के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में सरकारी संस्थाओं के लापरवाह रवैये की वजह से उर्दू समाचार पत्रों द्वारा सामना की जा रही स्थिति के बारे में निवेदन किये:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री गोपीनाथ मुंडे
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. डा॰ महबूब बेग
5. डा॰ फारूख अब्दुल्ला
6. श्री गुलाम नबी आज़ाद
7. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
8. श्री गुरुदास दासगुप्त
9. श्री बसुदेव आचार्य
10. कुमारी ममता बनर्जी

---

*अपराह्न 12.51 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

सर्वश्री लालू प्रसाद, राम किशुन, राकेश सचान, धर्मेन्द्र यादव, नामा नागेश्वर राव, अब्दुल रहमान, शैलेन्द्र कुमार और एम॰बी॰ राजेश सहयोजित हुए।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

''सभी सदस्यों ने उर्दू भाषा और उर्दू पत्रकारों की दशा पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं चाहती हूं कि सरकार इस मामले में पूरा ध्यान दे।''

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(दो) *#महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और नागपुर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री हंसराज गं॰ अहीर ने महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और नागपुर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.32 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.32 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा देश के विभिन्न भागों में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ संजय सिंह द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यक्रमों की निगरानी करने हेतु स्थानीय संसद सदस्यों को सदस्य के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित निगरानी समितियों में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में।

#सायं 6.35 बजे।

(3) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण क, ख, ग और घ समूहों में करने हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन को फिर से चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद के निर्णय की समीक्षा करने तथा झारखण्ड के धनबाद में विभिन्न बंद पड़े रेलवे फाटक और वीआईपी पार्किंग को पुन: खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के समग्र विकास हेतु राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा राष्ट्रमंडल खेल के दौरान हिन्दी भाषा में बैनर और साईनबोर्ड प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में लंबित मध्य प्रदेश के विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एम॰ अब्दुल रहमान द्वारा देश के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विभिन्न बैंकों में ओपन स्कॉलरशिप खाता खोलने की अनुमति देने हेतु बैंकों को निदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा सुवर्णरेखा संस्कार परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग की लंबित सूची में बरकरार रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा राज्य सरकार की निजाम बंगला परिसर की भूमि का रक्षा (सेना) को महाराष्ट्र में राजकीय राजमार्ग संख्या-60 को चार लेन वाला बनाने हेतु रक्षा भूमि के बदले प्रस्तावित अंतरण की अनुमति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.35 बजे

16. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-2011

लिया गया समय : 3 घंटे 27 मिनट

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 6 से 9, 11 से 20, 22, 27, 29 से 33, 35, 41, 46, 49, 51 से 54, 56 से 60, 62, 72 से 74, 81, 84, 87, 88, 90, 92 से 96, 100, 101 और 103 से 105 पर चर्चा आरंभ हुई।

दो कटौती प्रस्ताव (संख्या 51 से 101) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. डा॰ के॰ सांबासिवा राव
3. श्री मंगनी लाल मंडल
4. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
5. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
6. श्री पी॰ करुणाकरन
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
9. श्री आनंदराव अडसूल
10. श्री एस॰ सेम्मलई
11. श्री शैलेन्द्र कुमार
12. श्री प्रबोध पांडा

*13. श्री सी॰ शिवासामी
*14. श्री वीरेन्द्र कुमार
*15. श्री नारभाई कछाड़िया
*16. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
*17. श्री रमा शंकर राजभर
*18. श्री गणेश सिंह
*19. श्री पी॰टी॰ थॉमस
*20. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
*21. श्री पी॰ कुमार
*22. श्री हंसराज गं॰ अहीर

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

दो कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 1 से 4, 6 से 9, 11 से 20, 22, 27, 29 से 33, 35, 41, 46, 49, 51 से 54, 56 से 60, 62, 72 से 74, 81, 84, 87, 88, 90, 92 से 96, 100, 101 और 103 से 105 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

17. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010

18. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.06 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 6 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.03 बजे से सायं 7.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3553LS(S4)—05-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 अगस्त, 2010/15 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 96

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 65वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य परमाणु बम के शिकार हुए व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—183 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 184—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट,

नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) संशोधन नियम, 2010 जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 401(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 382(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर और सब-ब्रोकर) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/06/1097 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 2005 जो 9 अक्तूबर, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/828 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति)

नियम, 2010 जो 13 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1663(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 16 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010 जो 12 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3945 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 90 जो 22 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसमें भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड के अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के पद के वेतनमानों के 1.1.2006 से संशोधन से संबंधित शुद्धिपत्र दिया हुआ है , की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 901(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिकारियों, जो सशस्त्र सीमा बल के हेड कांस्टेबल के रैंक से कम न हो, को उक्त अधिनियम की धारा 42 और 67 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर करने की शक्ति प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धनशोधन निवारण (संव्यवहार की प्रकृति एवं मूल्य के अभिलेख का रखरखाव, कार्यपद्धति एवं रखरखाव का तरीका तथा सूचना देने का समय तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान के रिकार्ड की जांच एवं रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2010 जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 508(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमी (संशोधन) नियम, 2010 जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 354(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 355(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 627(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयातित माल का पुन:निर्यात (सीमा-शुल्क की कमी) संशोधन नियम, 2010 जो 17 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमी (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 17 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 520(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित भारत में बिक्री या प्रयोग के लिए आशयित माल के निर्यात, अतिलंघनकारी अधिनियमों का निषेध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—(2010-2011 का संख्यांक 11) संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

(दो) थल सेना और आयुध निर्माणियां के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—(2010-2011 का संख्यांक 12) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)।

(तीन) प्राकृतिक और कृत्रिम मोती, जवाहरात या अर्ध-जवाहरात, कीमती धातु, कीमती धातुयुक्त धातु क्लैड और उनसे बने सामान, प्रतिरूप आभूषण, सिक्के (सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्षक का अध्याय 71) की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—(2009-2010 का संख्यांक 15) संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सीमा-शुल्क)।

(15) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदनः—

(एक) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(दो) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

(तीन) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

(चार) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

(पांच) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(छह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

(सात) नीलाचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर

(आठ) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

(नौ) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

(दस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

(ग्यारह) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(बारह) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डाटाबेस का बंटवारा) विनियम, 2010 जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या आईआरडीए/रेग/1/51/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ट्रीटमेंट ऑफ डिसकंटीन्यूड लिंक्ड इंश्यूरेंस पॉलिसीज) विनियम, 2010 जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या आईआरडीए/रेग/2/52/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या आईआरडीए/रेग/3/53/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉरपोरेट अभिकर्ताओं का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या आईआरडीए/रेग/4/54/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(18) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 607(अ) जो 20 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विद्युत पारेषण के लिए 26 फरवरी, 2010 तक और विद्युत वितरण के लिए 21 जून, 2010 तक की विगत अवधि के लिए विद्युत के पारेषण तथा वितरण पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 610(अ) जो 21 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 7/2009 सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 615(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2010, जो भारत के राजपत्र में 31 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1261(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसमें 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1736(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र दिया हुआ है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 1756(अ) जो 21 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2292(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1639(अ) जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजनार्थ कतिपय शर्तों के अध्यधीन बॉण्ड को ''लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड'' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 5 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में 4 मई, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन ने (एक) ''प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, आदि के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के महत्व के बारे में कार्यान्वयनकारी अभिकरणों में जागरुकता; और (दो) रेड क्रॉस, आदि जैसे प्रतिष्ठित सेवा संगठनों द्वारा एम्बुलेंस खरीदने हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियाँ प्रदान करना'' विषयों पर संसद

सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (2009-10) का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2010-11) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की ओर से शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) शहरी विकास मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'कुष्ठ रोग के मामले' के बारे में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के संबंध में 12.3.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 9 अगस्त, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.11 बजे

9. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

''कि यह सभा 5 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.07 बजे

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड)—2010-2011

लिया गया समय: 1 घंटा 21 मिनट

वर्ष 2010-2011 के लिए झारखण्ड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 4, 10, 12, 16 से 20, 22 से 24, 26, 27, 33, 35, 38 से 44, 47, 48 और 51 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पशुपति नाथ सिंह
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री नरहरि महतो
7. श्री मधु कोड़ा
8. श्री निशिकांत दुबे

श्री नमोनारायन मीणा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 3, 4, 10, 12, 16 से 20, 22 से 24, 26, 27, 33, 35, 38 से 44, 47, 48 और 51 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (झारखण्ड) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2010

12. सरकारी विधेयक—पारित

झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2010

श्री नमोनारायन मीणा द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमोनारायन मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.28 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय	:	1 घंटा
लिया गया समय	:	2 मिनट
शेष	:	58 मिनट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री कीर्ति आजाद ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.31 बजे

14. प्रस्ताव

श्री विजय बहादुर सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 30 जुलाई, 2010 और 4 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमश: सातवें और आठवें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा 21 अप्रैल, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह वर्ष 2015 तक देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:—

(एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान करना;

(दो) ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब के कम-से-कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना;

(तीन) ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुम्ब पेंशन देना; और

(चार) ऐसे कुटुम्बों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।''

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना भाषण पुन: आरम्भ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. श्रीमती भावना पाटील गवली *(भाषण अपूर्ण रहा)*

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 9 अगस्त, 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.44 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3607LS(S4)—06-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 9 अगस्त, 2010/18 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 97

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को शुरू किए गए ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' की 68वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और राष्ट्रपिता तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था।

उन्होंने लेह, जम्मू और कश्मीर में भयावह रूप से बादल फटने के कारण 175 से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने और 200 से अधिक व्यक्तियों के लापता होने तथा सैंकड़ों व्यक्तियों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सुश्री तेजस्विनी सावंत को 8 अगस्त, 2010 को म्युनिख, जर्मनी में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर राईफल प्रोन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए बधाई दी।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 387(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 444(अ) जो 22 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी वेतन और भत्ते, छुट्टी और पेंशन निर्णय सार (संशोधन) नियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 467(अ) जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 का अनुमोदन किया गया है।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1465(अ) जो 17 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) नियम, 2010 जो 14 जून, 2010 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 501(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विशेष आर्थिक ज़ोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 12 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 597(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1057(अ) जो 11 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2953(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) (एक) सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 193क के अंतर्गत सेना (संशोधन) नियम, 2010 जो 29 मई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 22 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अंतर्गत तटरक्षक (सामान्य) संशोधन नियम, 2010 जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 5 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1258(अ) जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा धनराशि को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मासिक मजदूरी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति।

(11) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वित्तीय अनुमान तथा निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने 'संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) का आठवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'शहरी आवास' के संबंध में समिति के 40वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा)।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-2010)' के संबंध में समिति के पहले प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 10वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

(3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-2010)' के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 11वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

---

*प्रतिवेदन-निदेश 71क के अंतर्गत 25 जून, 2010 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत आठवें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

*अपराह्न 12.02 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'मानव संसाधन आयोजना, जनशक्ति की कमी, सशस्त्र बलों के लिए उच्च-तकनीकी शिक्षा और अवसंरचना का समावेशन' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'विशेष आर्थिक ज़ोनों का कार्यकरण' के बारे में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 87वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#9. सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010

$10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ बलराम नाईक द्वारा आन्ध्र प्रदेश के महबूबाबाद संसदीय निवार्चन क्षेत्र में औद्योगिक बहि:स्त्राव से उत्पन्न प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र को शहर से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.54 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 12.46 बजे।

$अपराह्न 12.47 बजे।

(3) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होगेनाक्कल से जल बटवारे विवाद का हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा देश में ''पेड न्यूज'' के खतरे को रोकने हेतु विनियामक आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विजय बहुगुणा द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच परिसंपत्तियों/पूंजी के बटवारे संबंधी विवाद का निपटारा किए जाने की आवश्यक्ता के बारे में।

(6) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में 250 आबादी वाले क्षेत्रों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री कमल किशोर कमांडों द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराईच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का आधारित प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में गडवाल रेलवे स्टेशन के समपार पर रेल ऊपरि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र के बोकारो लाईम स्टोन द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहित की गई है, उनके परिवारों को प्रतिकर और नियोजन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा रेलगाड़ी संख्या 6517/6518 को मंगलौर से होकर यशवंतपुर और करवार तक बढ़ाए जाने और मुंबई-करवार रेलगाड़ी को कर्नाटक के मंगलौर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रामकिशन द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने हेतु राज्य के वाराणसी और चन्दौली जिले के किसानों की भूमि के अधिग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिला में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालन्दा जिले में सूखे के कारण प्रभावित किसानों का ऋण माफ किए जाने तथा उस क्षेत्र में डीप बोरिंग ट्यूबवेलों संस्थापित

कर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु विशेष पैकेज भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डा॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश के बड़े शहरों में सरकारी-निजी हिस्सेदारी के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री जे॰ हेलन डेविडसन द्वारा कन्याकुमारी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र घोषित किए जाने तथा इसके अवसंरचनात्मक विकास हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.55 बजे

11. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आवंटित समय	:	1 घंटा
लिया गया समय	:	11 मिनट
शेष	:	49 मिनट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा 6 अगस्त, 2010 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री कीर्ति आजाद ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(लोक सभा अपराह्न 1.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.02 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 55 मिनट

माननीय उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री वीरेन्द्र कुमार जो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने वाले थे, ने अध्यक्ष से आग्रह किया है कि उनकी ओर से श्री कीर्ति आजाद को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनका आग्रह स्वीकार किया है।

तद्नुसार श्री कीर्ति आजाद ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री अखिलेश यादव

3. श्री शरद यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
6. श्री लालू प्रसाद
7. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
8. श्री एस॰ जयपाल रेड्डी
9. श्री निशिकांत दुबे
10. श्री बंस गोपाल चौधरी
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री आनंदराव अडसुल
13. श्री विजय बहादुर सिंह
14. श्री सी॰ राजेन्द्रन
15. श्री नामा नागेश्वर राव
16. श्री प्रबोध पांडा
17. डा॰ रतन सिंह अजनाला
18. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
19. श्री संजय निरूपम
20. श्री मनोहर तिरकी
21. श्री राधा मोहन सिंह
22. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
23. डा॰ चार्ल्स डिएस
24. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*25. श्री रामकिशुन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.57 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 10 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

GMGIPMRND—3659LS(S4)—09-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 10 अगस्त, 2010/19 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 98

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 453(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की धारा 9 के अंतर्गत आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन नियम, 2007 जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰नि॰ 427(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 की धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन आदेश, 2010 जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1187(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अग्रणी संवर्ग (समूह ख और ग पद) भर्ती नियम, 2010 जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 490(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 जो 17 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 67 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 13(1)/2009-बीसी जो 6 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 9 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 98 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 1031(अ) और का॰ आ॰ 1032(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰ आ॰ 1099(अ) और का॰ आ॰ 1100(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰ आ॰ 1169(अ) और का॰ आ॰ 1170(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰ आ॰ 1222(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली–सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰ आ॰ 1226(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली–सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰ आ॰ 1443(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद–अलीगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰ आ॰ 578(अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर–हरिद्वार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰ आ॰ 762(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (हरिद्वार–देहरादून खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰ आ॰ 768(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर–हरिद्वार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰ आ॰ 838(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मुजफ्फरनगर–हरिद्वार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰ आ॰ 1007(अ) जो 4 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली–आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰ आ॰ 1019(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक–पानीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰ आ॰ 1455(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर–पंचकुला–कालका खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰ आ॰ 1201(अ) से का॰ आ॰ 1203(अ) जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक–पानीपत खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1375(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक–पानीपत खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 814(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर–राजमार्ग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 954(अ) और का॰आ॰ 955(अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (नरसिंहपुर/छिंदवाड़ा जिला सीमा–अमरवाड़ा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1015(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (मुल्ताई-बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 949(अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1071(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1078(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 632(अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 798(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (झांसी-भोगनीपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 815(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 894(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1020(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 1022(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1077(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-भरतपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1167(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1044(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 837(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर-कुट्टीपुरम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1165(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (कराईकुडी–रामनाथपुरम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1270(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1162(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1163(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़–रोहतक खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1164(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1091(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.–II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे) (सोनीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1289 (अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1290 (अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (नई बाईपासों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 897 (अ) जो 20 अपैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 898 (अ) से का॰आ॰ 900 जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1452 (अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेतालीस) का॰आ॰ 813 (अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 836 (अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (छिंदवाड़ा-छिंदवाड़ा/सिवनी जिला सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 948 (अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा-छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 950 (अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानला-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 951 (अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख)

(इमलीखेड़ा जंक्शन–लिंगा गांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 952 (अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (छिंदवाड़ा–छिंदवाड़ा/सिवनी जिला सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 953 (अ) जो 26 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवाड़ा–छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 965 (अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3197(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यावन) का॰आ॰ 971 (अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (नरसिहंपूर/छिंदवाड़ा जिला सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1018 (अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिंदवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 1069 (अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 1079 (अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी–खजुराहो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 1168 (अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1198 (अ) जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिंदवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी और सब–डिविजनल (राजस्व),छिंदवाड़ा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 1227 (अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 525(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का॰आ॰ 1291 (अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 167(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनसठ) का॰आ॰ 1364 (अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 887(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का॰आ॰ 1365 (अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 464(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का॰आ॰ 1366(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बासठ) का॰आ॰ 1457(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1066(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल–आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 1180(अ) से का॰आ॰ 1182(अ) जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर–हुगुण्ड खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 910(अ) जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 911(अ) जो 21 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1035(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एनएचडीपी चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों/मार्गों को इनके विकास और अनुरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1036(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1037(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क और 26ख को इनके अनुरक्षण और विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(सत्तर) का॰आ॰ 1520(अ) जो 24 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 1521(अ) जो 24 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश में एनएचडीपी चरणों-IVक के अंतर्गत उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों/मार्गों को इनके विकास और अनुरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 882(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरोल-दहीसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 808(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगाँव-अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 833(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगाँव-अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 896(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या 80/2010-सीमा शुल्क, जो 10 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 81/2010-सीमा शुल्क, जो 10 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006 में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 9 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2010 को पारित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

#(दो) कि राज्य सभा ने 9 अगस्त 2010 को हुई अपनी बैठक में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया।

#5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 2010

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2009-10 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) 'विद्युत परियोजना का वित्तपोषण' के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

***7. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 7 अगस्त, 2010 को मुंबई के समुद्र तट पर तेल के फैलाव के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

$8. सदस्यों द्वारा निवेदन

एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा कथित रूप से एक रैली में माओवादियों का समर्थन किए जाने के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा एक रैली में कथित रूप से माओवादियों का समर्थन किए जाने के बारे में निवेदन किये:—

#अपराह्न 3.59 बजे।

*अपराह्न 4.00 बजे।

$अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

1. श्री गोपीनाथ मुंडे
2. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
3. श्री बंस गोपाल चौधरी

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.14 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.16 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.16 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा — स्थगित

संसदीय कार्य मंत्री ने निवेदन किया कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा, जो अपराह्न 2.00 बजे होना निर्धारित थी, 11 अगस्त, 2010 को की जाए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि सभा पहले नियम 193 के अधीन राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी में हुए विलंब के बारे में चर्चा पूरी करे और तत्पश्चात् औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010 पर चर्चा आरंभ करे।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डा॰ चार्ल्स डिएस द्वारा खादी भवनों में कार्यरत 'ट्रेडिंग स्टाफ' की सेवाओं को नियमित किए जाने तथा केवीआईसी के रिटेल आऊटलेट के माध्यम से बेचे जा रहे खादी उत्पादों पर छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा अरब सागर में मिनीकाय द्वीप के समीप सोमालियाई समुद्री डाकुओं की उपस्थिति पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू द्वारा केरल और तमिलनाडु के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार नेय्यर डैम के लेफ्ट विंग चैनल से तमिलनाडु को पर्याप्त जल छोड़ा जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में डेंगू, मलेरिया और स्वाईन फ्लू का प्रसार रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल के अलाप्पुझा में प्रति वर्ष आयोजित होने वाली एक पर्यटन इवेंट-नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के सुचारू कार्यकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एंटो एंटोनी द्वारा प्राकृतिक रबड़ पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क बरकरार रखकर रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री प्रताप नारायण राव सोनवणे द्वारा दूरदर्शन और अन्य निजी टीवी चैनलों में कार्यरत डॉक्यूमेंटरी कम्पाईलर्स और स्ट्रिन्जर्स के वेतन बढ़ाए जाने तथा उन्हें पेंशन और बीमा कवर की प्रसुविधा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यक्रमों की निगरानी हेतु जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति गठित किए जाने तथा स्थानीय संसद सदस्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु समिति के सदस्य में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र और देश के अन्य भागों में लघु और सीमांत किसानों के ट्यूबवेलों के लिए निःशुल्क पावर लाईन संस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर और लखनऊ के बीच रेलवे लाईन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पूर्णमासी राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्कड़ में एक नेशनल एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र के परभनी जिले में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना करने हेतु मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.20 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 21 मिनट

श्री कीर्ति आजाद द्वारा 9.08.2010 को उठाई गई राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी में विलंब से उत्पन्न स्थिति के बारे में आगे चर्चा।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 3.36 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 25 मिनट

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथा पारित।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पबन सिंह घाटोवार
2. श्री वीरेन्द्र कुमार
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री आर॰ थामराईसेलवन
5. श्री धनंजय सिंह
6. श्री पी॰आर॰ नटराजन
7. श्री आनंदराव अडसुल
8. श्री अर्जुन चरण सेठी

9. श्री सी. शिवास्वामी
10. श्री प्रबोध पांडा
11. श्री हंसराज गं. अहीर
12. श्री जगदम्बिका पाल
13. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
14. श्री मधु कोड़ा
15. श्री घनश्याम अनुरागी
16. श्री अर्जुन राम मेघवाल
17. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.11 बजे

(लोक सभा बुधवार, 11 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3721LS(S4)—10-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 11 अगस्त, 2010/20 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 99

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—243 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 244—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2985 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निवेदन

संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कि प्रत्येक सदस्य, जम्मू कश्मीर के लेह में हाल ही में बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कम से कम 20 लाख रुपये का अंशदान दें।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 485(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जी॰ बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी॰ बी॰ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), रायपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 10 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2009 को यथा पारित को संशोधनों सहित पारित किया और विधेयक को इस आग्रह के साथ वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2010 को पारित झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2009 जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, को सभा पटल पर रखा।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने ''भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन के बारे में 37वें प्रतिवेदन

(14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही'' पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा॰ संजय जायसवाल ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति का 46वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डा॰ संजय जायसवाल ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित ''केन्द्रीय भण्डार के समक्ष आ रही बाधाएँ'' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शिक्षा उपकर के बारे में श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 928 के 25.11.2009 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

कुमारी ममता बनर्जी की ओर से श्री के॰एच॰ मुनियप्पा ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हर्ष वर्धन द्वारा नई उत्खनन अनुज्ञापन नीति की समीक्षा किए जाने तथा लेखांकन में अनियमितता की संभावना को रोकने हेतु उत्पादन साझा संविदा (पीएससी) के

कार्यकरण को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधीन लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सतपाल महाराज द्वारा कालगढ़ को उत्तराखण्ड का राजस्व क्षेत्र घोषित किए जाने तथा कालगढ़ क्षेत्र की भूमि उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखण्ड सरकार के सिंचाई विभाग को अंतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में गंगा और भागीरथी नदियों के किनारे विभिन्न जिलों में मृदा अपरदन को रोके जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समान प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जयप्रकाश अग्रवाल द्वारा यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डा॰ महेश जोशी द्वारा देश में खाद्यान्न के उचित भंडारण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील द्वारा बीएसएनएल के लैंडलाईन उपभोक्ताओं की घटती हुई संख्या को रोकने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के लिए बीएसएनएल लैंडलाईन सेवा को और अधिक आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को भी अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के उचित निपटान तथा उसके पुन:चक्रण हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा जोधपुर मेल को राजस्थान में चुरू-रतनगढ़ से होकर दिल्ली से जोधपुर तक फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री अम्बिका बनर्जी द्वारा विद्यालयों में शारीरिक दंड को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा उत्तर बंगाल में विभिन्न नदियों द्वारा उत्पन्न गंभीर अपरदन से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा तमिलनाडु में टिंडीवनम–कृष्णागिरी राष्ट्रीय राजमार्ग–66 के मरम्मत और रख–रखाव हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा देश में महिला लिंगानुपात को पुरुष के समतुल्य लाने हेतु कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विद्यमान विधि का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सी॰ शिवासामी द्वारा अग्रणी टी॰ वी॰ नेटवर्क को तमिलनाडु के तिरूप्पुर में केबल टीवी–मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर चलाने के लिए अपना पे चैनल प्रदान करने संबंधी निदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ लिंगम द्वारा तमिलनाडु के तेनकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सड़कों की मरम्म्त और अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एन॰ चेलुवरया द्वारा कर्नाटक के मांड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांडवपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल उपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्बाध रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.05 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 36 मिनट

श्रीमती सुषमा स्वराज ने भोपाल गैस त्रासदी पर एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद–विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मनीष तिवारी
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. डॉ॰ बलीराम
4. श्री मंगनी लाल मंडल

5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री प्रबोध पांडा
7. श्री शेर सिंह घुबाया
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री कैलाश जोशी
10. श्री सज्जन सिंह वर्मा
11. श्री कल्याण बनर्जी
12. श्री एस॰ सेम्मलई
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
15. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
16. श्री नरहरि महतो
*17. श्री नारनभाई कछाड़िया
*18. डा॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
*19. श्री भर्तृहरि महताब
20. डा॰ तरुण मंडल
*21. श्री अर्जुन राम मेघवाल
*22. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
23. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
*24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*25. डा॰ चार्ल्स डिएस
*26. डा॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
*27. श्री प्रेमदास कथीरिया
*28. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री श्रीकांत जेना और श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

#सायं 7.35 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 12 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 6.41 बजे से सायं 7.35 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3784LS(S4)—11-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 100

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस॰के॰ राय और सातवीं लोक सभा के सदस्य डॉ॰ ए॰यू॰ आज़मी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने एक दुर्घटना में बच्चों समेत 25 लोगों की मृत्यु का भी उल्लेख किया जिसमें एक नाव भंवर में फंस गई थी और उफनती कोसी नदी में डूब गई।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने जाति-आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री गोपीनाथ मुंडे
4. श्री लालू प्रसाद
5. श्री दारा सिंह चौहान

*श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 261—280 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2986—3215 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन और विघटन) नियम, 2010 जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 266(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1548(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को, केवल ऐसे मामलों के संबंध में जहाँ केन्द्रीय सरकार गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, उक्त अधिनियम की धारा 235 या धारा 237 के अंतर्गत कंपनी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 12.04 बजे।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सत्ताओं को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 594(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 5 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का विवरण

श्री एं॰के॰एस॰ विजयन ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10)

के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (2009-10) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (2009-10) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

#9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने एयर इंडिया कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में श्री ए॰ वेंकटरामी रेड्डी और श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के 29.07.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

11. ध्यानाकर्षण

श्री जगदम्बिका पाल ने देश में आहार और खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

श्री जगदम्बिका पाल ने स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.52 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

जब कई सदस्यों ने अध्यक्षपीठ से आग्रह किया कि उन्हें स्पष्टीकारक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए तब अध्यक्षपीठ ने घोषणा की कि सदस्य ध्यानाकर्षण के विषय पर अल्पकालिक चर्चा की सूचना दे सकते हैं और अध्यक्ष द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा।

#अपराह्न 2.03 बजे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

***12. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010

***13. अध्यादेश के बारे में विवरण — सभा पटल पर रखा गया**

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का झारखण्ड अध्यादेश संख्या 1) के तत्काल विधान हेतु कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.09 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ टी॰ थामस द्वारा विदेशी फीडर जहाजों के माध्यम से पोतांतरण को आकर्षित करने के लिए केरल के वल्लारपद्म में प्रस्तावित इंटरनेशनल कन्टेनर शिपमेंट टर्मिनल के लिए केबोटेज लॉ (धारा 407) में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा श्री अरविंदो घोष, एक भारतीय देशभक्त के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण एक अमरीकी लेखक द्वारा लिखित ''द लाइव्स ऑफ श्री अरविंदो'' नामक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 2731/2732 तिरुपति-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के ज़हीराबाद और देश के अन्य भागों में सफाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 70% अनुरूप अनुदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 02.02 बजे।

(5) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में पोषण जागरूकता कार्यकलाप हेतु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद में वैज्ञानिकों के विभिन्न पदों को भरे जाने तथा अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती जे॰ शान्ता द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग – 63 और राष्ट्रीय राजमार्ग – 13 की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के रजौली में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ राजन सुशान्त द्वारा हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाला एक पर्यटक सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विष्णु पद राय द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य वन सेवा संवर्ग की वेतन संरचना डैनिप्स के समतुल्य पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड के बोकारो में कोनार बांध पर जल-विद्युत परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रेमदास कथीरिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया और कानपुर देहात क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा बुलन्दशहर और दिल्ली के बीच रेल-सम्पर्क प्रदान किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर के समीप चोला रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के पश्चिमी चम्पारण और नालंदा जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद की प्रक्रिया को रोकने हेतु सतर्कता-सह-निगरानी समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों को चौड़ा किए जाने तथा उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव द्वारा दिल्ली से उड़ीसा के बोलंगीर, तितिलागढ़ और सम्बलपुर क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेल सम्पर्क प्रदान किए जाने तथा इन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अवसंरचनात्मक विकास हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.10 बजे

15. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) *विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 2 घंटे 35 मिनट

श्री आनन्द शर्मा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
6. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव
7. श्री प्रबोध पांडा
8. श्री पी॰आर॰ नटराजन
9. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री पन्ना लाल पुनिया
11. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
12. श्री एस॰ सेम्मलई
13. श्री पी॰टी॰ थॉमस

श्री आनन्द शर्मा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 21 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री आनन्द शर्मा द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.46 बजे

(एक) *दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010*

लिया गया समय: 1 घंटा 36 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री विजय बहुगुणा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री आर॰ थामराईसेलवन
7. श्री एम॰ बी॰ राजेश
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. डॉ॰ राजन सुशान्त
10. श्री हमदुल्लाह सईद
11. श्री प्रबोध पांडा
12. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
13. डॉ॰ तरूण मंडल

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 7.02 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 13 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई*)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 6.23 बजे से सायं 7.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3822LS(S4)—12-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 13 अगस्त, 2010/22 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 101

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—283 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 284—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3216—3445 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.45 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भण्डार की खरीद तथा माल सूची प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा विभाग का निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) (2010-11 का संख्यांक 13)।

(दो) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैन्टीन स्टोर्स विभाग, रक्षा मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2010-11 का संख्यांक 14)।

(तीन) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपील प्रक्रिया के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2009-10 का संख्यांक 20)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार (राजस्व प्राप्तियां) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार (राज्य वित्त) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार (सिविल और वाणिज्यिक) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(3) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2010-11/02/1107 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2010-11/04/1109 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2010-11/07/1100 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन और अधिकार ग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2010-11/05/1110 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2010-11/03/1104 में प्रकाशित हुई थी।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/30/199044 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (संशोधन) नियम, 2010 जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 469(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 640(अ) जो 28 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 637(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12—18 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले विश्व टिकट संग्रह प्रदर्शनी में प्रदर्शन तथा बिक्री के लिए विनिर्दिष्ट मदों को 18 फरवरी, 2011 तक आधारभूत उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 646(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित पदाधिकारी के 22 जून, 2010 के प्राथमिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पीवीसी फ्लेक्स फिल्म' के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 632(अ) जो 26 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित पदाधिकारी के 17 मई, 2010 के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में इंडोनेशिया और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित बम्बू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात पर भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 633(अ) जो 26 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित पदाधिकारी के 11 जून, 2010 के प्राथमिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, रूस, ताईवान और थाईलैण्ड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित पॉली विनाइन क्लोराइड पेस रेजिन के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर 25 जनवरी, 2010 तक अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 26 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 845(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विघटन किए जाने के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 846(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विघटन किए जाने के बारे में है।

(10) (एक) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर वैली कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) नियम, 2010 जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 525(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मणिपुर राज्य और मिजोरम राज्य के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना) नियम, 2010 जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड) विनियम, 2010 जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-11/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(14) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 411(अ) जो 17 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 176(अ) का शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 489(अ) जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का

प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 के अंतर्गत उल्लंघनों के बारे में विशिष्ट कार्रवाई की जांच करने के लिए सभापति और सदस्यों सहित संचालन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

4. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 16 अगस्त, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

5. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 12 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.09 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *लेह-लद्दाख से लगभग 33 भारतीय सैनिकों के कथित तौर पर लापता होने के बारे में समाचार*

निम्नलिखित सदस्यों ने लेह-लद्दाख से लगभग 33 भारतीय सैनिकों के कथित तौर पर लापता होने के बारे में समाचार के संबंध में निवेदन किए:—

1. श्री मनीष तिवारी

2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

सर्वश्री अर्जुन राम मेघवाल और राजेन्द्र अग्रवाल सहयोजित हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.32 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 1.21 बजे

(दो) *एससीबी डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, कटक के डेन्टल विंग के तृतीय वर्ष बी॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम की सीटों के नवीकरण हेतु कथित तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में*

श्री भर्तृहरि महताब ने एससीबी डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, कटक के डेन्टल विंग के तृतीय वर्ष बी॰डी॰एस॰ पाठ्यक्रम की सीटों के नवीकरण हेतु कथित तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री अर्जुन चरण सेठी और कालीकेश नारायण सिंह देव सहयोजित हुए।

श्री गुलाम नबी आजाद ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.32 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.34 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.34 बजे

***7. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**

आबंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	56 मिनट
शेष	:	1 घंटा 04 मिनट

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 2010 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

***8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री गुलाम नबी आजाद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखें उपर्युक्त पैरा 7) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव संबंधी संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रबोध पांडा

*एक साथ चर्चा की गई।

2. डॉ॰ चिन्ता मोहन
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री जगदीश शर्मा (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री खगेन दास का त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक, 2010

(2) श्री जी॰एस॰ बासवराज का बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2009

(3) श्री जी॰एस॰ बासवराज का ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2009

(4) डॉ॰ संजीव गणेश नाईक का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)।

(5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)।

(6) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(7) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)।

(8) डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन)।

(9) श्री आनंदराव विठोबा अडसुल का उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2, आदि का संशोधन)।

(10) श्री आनंदराव विठोबा अडसुल का चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2, आदि का संशोधन)।

(11) श्री आनंदराव विठोबा अडसुल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 117, आदि का संशोधन)।

(12) श्री ओम प्रकाश यादव का उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2010

(13) श्री ओम प्रकाश यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)।

(14) श्री ओम प्रकाश यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 279क का अंत:स्थापन)।

(15) श्री हंसराज गं॰ अहीर का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 6 का संशोधन)।

(16) श्री हंसराज गं॰ अहीर का विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2010

(17) श्री हंजराज गं॰ अहीर का आंगनबाड़ी कर्मकार (सेवा और अन्य लाभों का नियमितीकरण) विधेयक, 2010

(18) श्री हंसराज गं॰ अहीर का विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2010

(19) श्री मनीष तिवारी का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विधेयक, 2010

(20) श्री अधीर रंजन चौधरी का कलकत्ता उच्च न्यायालय (मुर्शिदाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010

(21) श्री अधीर रंजन चौधरी का पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010

(22) श्री सतपाल महाराज का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (कतिपय सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2010

(23) श्री सतपाल महाराज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।

(24) श्रीमती मेनका गांधी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 32क, आदि का अंत:स्थापन)।

अपराह्न 3.45 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया

श्री जय प्रकाश अग्रवाल का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा 4 दिसम्बर, 2009 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 4.29 बजे

11. गैर—सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन

श्री अधीर रंजन चौधरी का बालक कल्याण विधेयक, 2009

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री गोरखनाथ पाण्डेय (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 16 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3884LS(S4)—13-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 16 अगस्त, 2010/25 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 102

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 302—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3446—3675 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 38, जो 1 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मर्चेंट नेवी में सेवा से जुड़े प्रशिक्षण के लिए प्री-सी कोर्सेज के आयोजन हेतु भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1881(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(4) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(6) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(8) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*अपराह्न 2.01 बजे।

(10) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 24 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 17 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 517(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(11) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 21 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 609(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 14 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 5-4/2000-ए॰ एण्ड पी॰ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 12 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में 2 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बिना किसी संशोधन के सहमत है।

4. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री ए॰ के॰ एंटनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) ग्रामीण विकास मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(3) गृह मंत्री ने लेह, जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.05 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डा॰ चार्ल्स डिएस द्वारा एच॰एम॰टी॰ कारखानों को फिर से चालू किए जाने तथा एच॰एम॰टी॰ कारखानों के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सतपाल महाराज द्वारा सूरत, गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय हीरा केन्द्र बनाने के लिए कदम उठाए जाने तथा हीरा सौदागरों को राहत देने के लिए प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सीरिसीला में तथा करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्य कस्बों में वस्त्र उद्योगों को फिर से चालू करने हेतु विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा सफाई कार्य में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 2.00 बजे।

(5) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा श्री विनायक दामोदर सावरकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद में कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा रुग्ण चाय बागानों के प्रबंधन को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाए जाने तथा चाय बागान के कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जयंत चौधरी द्वारा देश में खाद्यान्न भंडारण सुविधाएं स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में सुवर्ण रेखा बैराज सह डोलांग बांध परियोजना पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में स्वाईं फ्लू का प्रसार रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 17 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—3926LS(S4)—16-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 17 अगस्त, 2010/26 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 103

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध पुलिस फायरिंग में किसानों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध पुलिस फायरिंग में किसानों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री राजनाथ सिंह
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री शरद यादव
5. श्री एच॰डी॰ देवेगौडा
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री जयंत चौधरी
8. श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
9. श्री बसुदेव आचार्य
10. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
11. श्री नामा नागेश्वर राव

12. श्री प्रबोध पांडा
13. श्री लालू प्रसाद
14. श्री अनंत गंगाराम गीते
15. श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(दो) *संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ाए जाने के बारे में*

श्री लालू प्रसाद ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन बढ़ाए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 11.53 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 322—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3676—3905 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पारा मेडिकल कैडर (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 593(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (प्रकाशन और मुद्रण कैडर) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मेडिकल कैडर (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2010, जो 15 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सहायक उपनिरीक्षक (कार्यकारी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 317(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कृषि उपज श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम, 1937 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 650(अ) जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 129 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2010 जो 7 मई, 2010 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 386(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 21 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 443(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 26 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 447(अ) में दिया हुआ है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 15 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 504(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 675(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 805(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 807(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1073(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1105(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9

(विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1179(अ) जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1272(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1274(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट–रूद्रकोटा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1279(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (टाटापुडी–मुरिकीपुडी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1456(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1221(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 67 विस्तार (कांगेयम्पलयम–मेट्टूपलयम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 633(अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूट्टनी–चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 892(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडीवनम-विल्लुपुरम-त्रिची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 969(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंडुरपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1269(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1271(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1285(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूट्टनी-चेन्नई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1306(अ) जो 3 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) (बाईपासों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1308(अ) जो 3 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-वालाजहपेट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1346(अ) जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड)

(बाईपासों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1347(अ) जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगल-थेणी और कुमुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 1389(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) (बाईपासों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 1394(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टिनम-तंजावूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1286(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 [चेन्नई बाईपास (फेज-दो)] के निर्माण (सन्निर्माण), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1388(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) (बाईपासों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1568(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 831(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिंदवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 832(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानाला-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1278(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर–मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1374(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार (भोपाल–सांची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1458(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर–मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 970(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हरिहर–हवेरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 679(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 755(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1080(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनडोन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1371(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनडोन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 660(अ) जो 22 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली–राजामुंडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1373(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 विस्तार (ब्यावरा–मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1383(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार (भोपाल–सांची खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 1427(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1015(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1428(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 622(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बयालीस) का॰आ॰ 1420(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानाला–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1454(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी–लखनडोन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 1595(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड़, इन्दौर (पश्चिम भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1596(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवाड़ा-छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 1074(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1267(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1419(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (राजमार्ग क्रॉसिंग-बरेली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1384(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (झांसी-खजुराहो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 1380(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी-खजुराहो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 849(अ) जो 15 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बरगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1363(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 952(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तिरपन) का॰आ॰ 732(अ) जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली–रिमुली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 848(अ) जो 15 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमुली–राजामुंडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 1310(अ) जो 3 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पिटिरी–भुबन खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1459(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (दरडा–मालीबरही खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 1265(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर–बरगढ़–उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 1273(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर–बरगढ़–उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1382(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (उत्तरासासन–पाटसाहनीपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 812(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भंडारा–नागपुर खंड)

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 502(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (काम्पटी-कान्हन बाईपास सहित मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा-नागपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 834(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुंडापुर-सुरथकल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 967(अ) और का॰आ॰ 968(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर-हुनगुंड खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 773(अ) जो 7 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, 63 और 4 को जोड़ने वाले बाईपास के हुबली शहर तक निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1060(अ) जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (बंगलौर-मंगलौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1061(अ) जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 पर वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर-कम क्लासीफायर्स के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1089(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का०आ० 1628(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का०आ० 1746(अ) से का०आ० 1749(अ) जो 20 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218 पर मालाप्रभा नदी पर बड़े पुल के निर्माण की भूमि वाले भाग में निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का०आ० 756(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी–औरंगाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का०आ० 890(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 और 84 (पटना–बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का०आ० 835(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी–औरंगाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का०आ० 665(अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर–सोनबरसा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का०आ० 503(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर–मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का०आ० 1068(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1070(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 731(अ) जो 1 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगाँव-महौलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 804(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 11 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2082(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(उनासी) का॰आ॰ 797(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3104(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का॰आ॰ 1021(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रामगढ़ बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भू-अर्जन अधिकारी, रामगढ़ को समक्ष प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 1424(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1338(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयासी) का॰आ॰ 1223(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगाँव-महौलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 1063(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगाँव-महौलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 1497(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगाँव–महौलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 802(अ) जो 9 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (दलखोला बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का॰आ॰ 1041(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 का जंक्शन) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब–डिवीजनल ऑफिसर, बैसी, पूर्णिया को समक्ष प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सतासी) का॰आ॰ 810(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठासी) का॰आ॰ 1472(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना–बख्तियारपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 1081(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 (पटना–बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का॰आ॰ 1576(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1668(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 1219(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल–आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 1422(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तुमकुर–हरिहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 1367(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 810(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरानवे) का॰आ॰ 1092(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (बेलगाम–गोवा/केएनटी बाउंड्री खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंचानवे) का॰आ॰ 1571(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 800(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव–अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 764(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबगल–आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 801(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 295(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 806(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सौ) का॰आ॰ 1418(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 1542(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (रायगंज-दलखोला खण्ड) (दलखोला बाईपास को छोड़कर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 1573(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बेरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 1503(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन), उत्तर दिनाजपुर जिला को सक्षम प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 1282(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 1082(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 1621(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 1376(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (रायगंज-दलखोला खण्ड) (दलखोला बाईपास को छोड़कर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 1706(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची–াররगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 1602(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही–इंदिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 1600(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची–रारगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ ग्यारह) का॰आ॰ 1309(अ) जो 3 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बारह) का॰आ॰ 751(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 4 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3112(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(एक सौ तेरह) का॰आ॰ 1199(अ) जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली–झालावाड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ चौदह) का॰आ॰ 803(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर–महुआ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पंद्रह) का॰आ॰ 1059(अ) जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1009(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ सोलह) का॰आ॰ 1335(अ) जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सत्रह) का॰आ॰ 1050(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर-मुरैना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ अठारह) का॰आ॰ 1601(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ उन्नीस) का॰आ॰ 1379(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बीस) का॰आ॰ 1276(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ इक्कीस) का॰आ॰ 960(अ) और का॰आ॰ 961(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बाईस) का॰आ॰ 885(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तेईस) का॰आ॰ 1075(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, शाखा-एक, सूरत

को गुजरात राज्य में संदत्त एक्सप्रेसवे के निर्माण (सन्निर्माण, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे खण्ड के डिजाइन चेनेज से भूमि के विस्तारण के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(एक सौ चौबीस) का०आ० 1471(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भरूच को गुजरात राज्य में संदत्त एक्सप्रेसवे के निर्माण (सन्निर्माण, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे खण्ड के डिजाइन चेनेज से भूमि के विस्तारण के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(एक सौ पच्चीस) का०आ० 1266(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छब्बीस) का०आ० 1381(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सत्ताईस) का०आ० 811(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ अट्ठाईस) का०आ० 1046(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ उनतीस) का०आ० 1292(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, एकक-एक, बड़ोदरा को गुजरात राज्य में संदत्त एक्सप्रेसवे के निर्माण (सन्निर्माण आदि),

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए प्रस्तावित बड़ोदरा–मुम्बई एक्सप्रेसवे खण्ड के डिजाइन चेनेज से भूमि के विस्तारण के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तीस) का॰आ॰ 895(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जेतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ इकतीस) का॰आ॰ 1013(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

5. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे तथा चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(दो) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(तीन) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) खान मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने ''अवैध खनन के संबंध में एक जांच आयोग का गठन'' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.06 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.17 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ चरण दास महंत द्वारा छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में नक्सलवाद रोकने और इसे सरकार द्वारा चिह्नित किए गए लेफ्ट विंग उग्रवाद से प्रभावित जिलों में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जगदीश ठाकोर द्वारा भारतीय मछुआरों को तटीय क्षेत्रों में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद-नांदयाल और अदिलाबाद-बोडारेवु सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम द्वारा गुजरात के जामनगर में किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण गैस और तेल पाइप लाईन बिछाने के लिए की गई है, को पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्री जयवंतराव आवले द्वारा देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰ बलराम नाईक द्वारा आंध्र प्रदेश के मेहबूबाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री के॰पी॰ धनपालन द्वारा केरल में एचएमटी के कर्मचारियों की शिकायतों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डा॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा ललितपुर (उत्तर प्रदेश) सिंगरौली (मध्य प्रदेश) रेल लाईन के ललितपुर-टीकमगढ़-छतरपुर खण्ड पर रेल लाईन के निर्माण कार्य में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा जनजातीय बहुल फॉरेस्ट रिजर्व भूमि क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री माकनसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के खारगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के समदारी और भीलाड़ी के बीच यात्री रेलगाड़ियां चलाए जाने और इन स्थानों को देश के महानगरों और अन्य भागों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आर॰के॰ सिंह पटेल द्वारा एनटीपीसी के मेगा पावर प्लांट को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हटाए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर विभिन्न रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने और दिल्ली और अलीगढ़ के बीच एक नई ईएमयू ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा पान के पत्ते (पान) को कृषि उत्पाद घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के वेलनकन्नी और नागपट्टिनम के बीच रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा को सेन्ट्रल जेनरेटिंग स्टेशन से अतिरिक्त बिजली आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा आईसीटी योजना के अंतर्गत ''एडुसेट'' से लिए सेटेलाईट इंटरेक्टिव टर्मिनलों की संस्थापन के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) एडवोकेट गणेशराव एन॰ दूधगांवकर द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.18 बजे

7. **सरकारी विधेयक —पारित**

(एक) *आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक,* 2010

लिया गया समय : 1 घंटा 31 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री शरद पवार की ओर से प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री रुद्र माधव राय
5. श्री रमाशंकर राजभर
6. श्री एम॰बी॰ राजेश
7. श्री के॰एम॰ आनंदन
8. श्री प्रबोध पांडा
9. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
11. श्री राजू शेट्टी
12. डा॰ तरुण मंडल

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.49 बजे

(दो) *झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010*

लिया गया समय : 43 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव डा॰ सी॰पी॰ जोशी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
2. श्री विजय बहादुर सिंह
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्रीमती सुस्मिता बाउरी
5. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
6. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
7. श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ॰ सी॰पी॰ जोशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ सी॰पी॰ जोशी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.33 बजे

8. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय : 3 घंटे 50 मिनट

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों, सभा में अब नियम 193 के अधीन विभिन्न राज्यों में अवैध खनन के बारे में अल्पकालिक चर्चा की जाएगी। मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कतिपय राज्यों में अवैध खनन से संबंधित याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। स्थापित प्रथा के अनुसार, ऐसा कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के निर्णयाधीन है, उस पर सामान्य तौर पर सदन में चर्चा नहीं की जाती है। मैंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाद-विवाद के दौरान ऐसा कुछ भी न कहा जाए जिससे किसी भी तरह से न्याय की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करता हूं कि वह इस मामले पर व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें और वाद-विवाद का उच्च स्तर बनाए रखें।''

तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य ने विभिन्न राज्यों में अवैध खनन पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भक्त चरण दास
2. श्री अनंत कुमार
3. श्री एच॰डी॰ देवेगौडा
4. श्री शैलेन्द्र कुमार

*5. श्री शेख सैदुल हक

*6. श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा

*7. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी

8. डॉ॰ बलीराम

9. डॉ॰ काकोली घोष दस्तिदार

10. श्री आधि शंकर

*11. श्री अर्जुन राम मेघवाल

12. श्री भर्तृहरि महताब

13. श्रीमती सुप्रिया सुले

14. श्री रतन सिंह

15. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई

*16. श्री हर्ष वर्धन

17. श्री नामा नागेश्वर राव

18. श्री प्रबोध पांडा

19. डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*20. श्री एस॰ सेम्मलई

21. चौधरी लाल सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

@रात्रि 9.26 बजे

(लोक सभा बुधवार, 18 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@ रात्रि 8.25 बजे से रात्रि 9.26 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4007LS(S4)—17-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 18 अगस्त, 2010/27 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 104

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 341—360 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3906—4133 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतरराज्यिक जल विवाद, 1959 (संशोधन) नियम, 2010 जो 15 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2010, जो 11 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 396(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2010, जो 11 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2010, जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 403(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2010, जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2010, जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2010, जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2010, जो 17 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2010, जो 17 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2010, जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 2010, जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 432(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2010, जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 433(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 2010, जो 20 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2010, जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2010, जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 509(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सोलहवां संशोधन नियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सत्रहवां संशोधन नियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) सोलहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) अठारहवां संशोधन नियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) सत्रहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) उन्नीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2144(अ) जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, चंडीगढ़ का गठन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2363(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1888(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 3065(अ) जो 1 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 948(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 852(अ) जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, नागालैण्ड का गठन किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 242(अ) जो 3 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1735(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 3066(अ) जो 1 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 853(अ) जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, गोवा का गठन किया गया है।

(आठ) का॰आ॰ 1662(अ) जो 13 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 21 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 608(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या इक्यावन	तीसरा सत्र, 1992
2.	विवरण संख्या अड़तालीस	छठा सत्र, 1993
3.	विवरण संख्या सैंतीस	ग्यारहवां सत्र, 1994
4.	विवरण संख्या इकतालीस	तेरहवां सत्र, 1995
5.	विवरण संख्या उनतीस	चौदहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

6.	विवरण संख्या उनतालीस	चौथा सत्र, 1997
7.	विवरण संख्या चौंतीस	पांचवां सत्र, 1997

बारहवीं लोक सभा

8.	विवरण संख्या पैंतालीस	दूसरा सत्र, 1998
9.	विवरण संख्या इकतालीस	चौथा सत्र, 1999

तेरहवीं लोक सभा

10.	विवरण संख्या चवालीस	दूसरा सत्र, 1999
11.	विवरण संख्या उनचास	तीसरा सत्र, 2000

12.	विवरण संख्या बयालीस	चौथा सत्र, 2000
13.	विवरण संख्या तीस	पांचवां सत्र, 2000
14.	विवरण संख्या चौंतीस	आठवां सत्र, 2001
15.	विवरण संख्या पैंतीस	नौवां सत्र, 2002
16.	विवरण संख्या बत्तीस	दसवां सत्र, 2002
17.	विवरण संख्या उनतीस	ग्यारहवां सत्र, 2002
18.	विवरण संख्या छब्बीस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

19.	विवरण संख्या तेईस	दूसरा सत्र, 2004
20.	विवरण संख्या इक्कीस	तीसरा सत्र, 2004
21.	विवरण संख्या बाईस	चौथा सत्र, 2005
22.	विवरण संख्या उन्नीस	पांचवां सत्र, 2005
23.	विवरण संख्या अठारह	छठा सत्र, 2005
24.	विवरण संख्या सत्रह	सातवां सत्र, 2006
25.	विवरण संख्या पंद्रह	आठवां सत्र, 2006
26.	विवरण संख्या पंद्रह	नौवां सत्र, 2006
27.	विवरण संख्या चौदह	दसवां सत्र, 2007
28.	विवरण संख्या बारह	ग्यारहवां सत्र, 2007
29.	विवरण संख्या ग्यारह	बारहवां सत्र, 2007
30.	विवरण संख्या नौ	तेरहवां सत्र, 2008
31.	विवरण संख्या सात	चौदहवां सत्र, 2008
32.	विवरण संख्या छह	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

33.	विवरण संख्या पांच	दूसरा सत्र, 2009
34.	विवरण संख्या तीन	तीसरा सत्र, 2009
35.	विवरण संख्या तीन	चौथा सत्र, 2010

(6) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (दादरा और नागर हवेली सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (दादरा और नागर हवेली सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14)(एक) यूईई मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16)(एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) भारत शिक्षा कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत परिषद् (प्रौद्योगिकी संस्थान) संशोधन नियम, 2009, जो 17 अक्तूबर, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2825(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26)(एक) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसाइटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) बिहार महिला समाख्या सोसाइटी, पटना के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार महिला समाख्या सोसाइटी, पटना के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30)(एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32)(एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34)(एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (फीस) संशोधन नियम, 2010 जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 398(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 17 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया।

(दो) कि राज्य सभा ने 17 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया।

(तीन) कि राज्य सभा 17 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 मई, 2010 को पारित ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

(एक) *खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010*

(दो) *स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010*

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय बहादुर सिंह ने गैर-सरकारी, सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'वार विडो' श्रेणी के अंतर्गत मामले पर विचार करने तथा सभी लागू वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु अनुरोध वाले अभ्यावेदनों तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के निर्णय के लागू न हो पाने के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 22 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना के रद्द/वापस लिए जाने तथा राजस्थान के चुरू जिले में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए रेल बजट में और अधिक निधियों के प्रावधान के संबंध में अभ्यावेदनों के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां और बारहवां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टम्टा ने परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 212वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री प्रदीप टम्टा ने परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010 के बारे में विभाग से सम्बद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं का समाधान करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हर्ष वर्द्धन द्वारा पूर्ववर्ती ब्रिटिश शासकों के नाम पर रखे गए रेलवे स्टेशनों को नया नाम दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहान द्वारा गुजरात के साबरकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर रायगढ़ बस स्टैंड के ऊपर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानवयुक्त रेल क्रॉसिंग प्रदान किए जाने और इस क्षेत्र में सभी रेलवे क्रॉसिंग का मरम्मत कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री के॰डी॰ देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में तिरोड़ी और काटांगी के बीच बड़ी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी रीटेल आउटलेट खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री आर॰ थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रासायनिक तत्व मोलीबडेनम की तलाश और वाणिज्यिक उत्पादन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने और केरल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाए जाने और फ्लड लाईट्स लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा सरयू नदी पर बिहार में दरौली और उत्तर प्रदेश में सिकंदरपुर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण केन्द्रीय निधि से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 19 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—4050LS(S4)—18.08.2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 19 अगस्त, 2010/28 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 105

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने उत्तराखंड के बागेश्वर में 18 अगस्त, 2010 को बादल फटने से हुए भू-स्खलन में एक प्राथमिक विद्यालय के 18 बच्चों की मृत्यु का उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *मध्य प्रदेश के प्रति कथित अन्याय और भेदभाव, जिसके कारण राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, के बारे में*

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और श्रीमती सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश के प्रति कथित अन्याय और भेदभाव, जिसके कारण राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(दो)* *खादी पर छूट के बारे में*

श्री मुलायम सिंह यादव ने खादी पर छूट के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, एम॰बी॰ राजेश, रामकिशुन और नीरज शेखर सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.53 बजे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—365 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 366—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4134—4363 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने 'देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(3) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

9. ध्यानाकर्षण

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 पर नागा संगठनों द्वारा की गई आर्थिक नाकाबंदी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

गृह मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 1.32 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री दत्ता मेघे द्वारा देश में निमोनिया के उन्मूलन के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा गुमशुदा जहाज एम॰वी॰ रज्जाक, एम॰वी॰ जुपिटर 6 और एम॰टी॰ फैन्टेसी-1 का पता मिनिकॉय द्वीपसमूह के नाविकों की मदद से लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के रूप में अनर्ह व्यक्तियों द्वारा की जा रही मेडिकल प्रैक्टिस को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की देनदारी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के आधुनिकीकरण के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने और राज्य में पन्ना-खजुराहो और पन्ना-सतना रेल लाइन पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर, पूर्वी चम्पारण और सीतामढ़ी जिलों में बी॰एस॰एन॰एल॰ की व्यवधान रहित मोबाइल सेवाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अनंत कुमार डी॰ हेगड़े द्वारा कर्नाटक के खानापुर में विभिन्न रेलों के लिए ठहराव

*अपराह्न 12.53 बजे से अपराह्न 1.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

प्रदान किए जाने तथा बेलगाम–मिराज–बेलगाम यात्री रेल को लोण्डा जंक्शन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा देश में उपयोग की अंतिम तारीख समाप्त हो गए तथा प्रतिबंधित नाशकजीवमार और खरपतवारनाशकों के आयात को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश में किसानों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में जारी सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधि निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए बांधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत पुलीकेट झील के विकास के लिए और अधिक निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह के नौकरी में हिस्सेदारी से संबंधित अलग–अलग आंकड़े एकत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जोस के॰ मणि द्वारा आप्रवासी भारतीयों को विवाह–विच्छेद, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित अधिकार और विशेषाधिकार प्रवासी भारतीयों के समतुल्य देने के लिए एक व्यापक विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 1.43 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 2.01 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 2.01 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2010-11

लिया गया समय: 2 घंटे 41 मिनट

वर्ष 2010-2011 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 2 और 16 के बारे में चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिन पाठक
2. श्री विजय बहुगुणा
*3. श्री रुद्रमाधव राय
*4. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
*5. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. डॉ॰ बलीराम
8. श्री दिनेश चन्द्र यादव
*9. डा॰ किरीट पी॰ सोलंकी
10. डॉ॰ रामचन्द्र डोम
*11. श्री नारनभाई कछाड़िया
*12. डॉ॰ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण
13. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन
*14. श्री देवजी एम॰ पटेल
*15. श्री सी॰ शिवासामी
*16. श्री पी॰ कुमार
*17. श्री के॰ सुगुमार
18. श्री अर्जुन चरण सेठी
*19. श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*20. श्री चंद्रकांत खैरे

*21. श्री हरिभाऊ जावले

22. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े

*23. श्री मोहन जेना

*24. श्री अर्जुन राम मेघवाल

*25. श्री यशवंत एन॰ एस॰ लागुरी

*26. श्री लक्ष्मण टुडु

*27. श्री तूफानी सरोज

*28. श्री जगदीश ठाकोर

29. श्रीमती सुप्रिया सुले

30. श्री ओ॰ एस॰ मणियन

*31. डा॰ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

32. एडवोकेट ए॰ सम्पत

*33. श्री मधुसूदन यादव

34. श्री नामा नागेश्वर राव

*35. श्री रामकिशुन

*36. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा

*37. श्री पी॰ करूणाकरन

*38. श्री ए॰ गणेशमूर्ति

*39. श्री रमाशंकर राजभर

40. श्री जगदानन्द सिंह

*41. डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*42. श्री भर्तृहरि महताब

*43. श्री मानिकराव होडल्या गावित

44. श्री प्रबोध पांडा

*45. श्री पी॰ एल॰ पुनिया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*46. श्री राधे मोहन सिंह

*47. डॉ॰ चार्ल्स डिएस

*48. डॉ॰ तरुण मंडल

49. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

*50. श्री सतपाल महाराज

*51. डॉ॰ महबूब बेग

*52. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल

*53. श्री गणेश सिंह

*54. श्री वीरेन्द्र कुमार

*55. श्री एम॰ के॰ राघवन

*56. श्री मधु कोड़ा

*57. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

*58. श्री अशोक रावत

*59. श्री कमल किशोर कमांडो

*60. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

*61. श्री भक्त चरण दास

*62. डॉ॰ शफीकुर्रहमान बर्क

*63. श्री राम सिंह कस्वां

*64. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

*65. श्री एस॰ आर॰ जेयदुरई

*66. श्री पी॰ टी॰ थॉमस

*67. श्री प्रेमदास कथीरिया

*68. श्री रतन सिंह

*69. श्री शेख सैदुल हक

कुमारी ममता बनर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

2010–2011 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 2 और 16 वर्ष 2010–2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2010

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 तथा 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.42 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 44 मिनट

श्री गोपीनाथ मुंडे ने देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री पी॰ एल॰ पुनिया
2. श्री शैलेन्द्र कुमार

*3. श्री किरीट पी॰ सोलंकी

4. डॉ॰ बलीराम

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*5. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

*6. श्री लक्ष्मण टुडु

*7. श्री हुक्मदेव नारायण यादव

8. श्री मुकुल वासनिक

9. श्री मंगनी लाल मंडल

*10. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ

11. श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर

12. श्री बाजू बन रियान

13. श्री अर्जुन चरण सेठी

*14. श्रीमती संतोष चौधरी

15. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव

16. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

17. श्री रमेश राठौड़

18. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

19. श्री पी॰ लिंगम

20. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

21. श्री वीरेन्द्र कश्यप

22. डॉ॰ रत्ना डे

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 9.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 8.27 बजे से रात्रि 9.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4093LS(S4)—19-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010/29 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 106

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *जम्मू और कश्मीर में सिख समुदाय को आतंकवादियों द्वारा कथित धमकी के बारे में ।*

निम्नलिखित सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर में सिख समुदाय को आतंकवादियों द्वारा कथित धमकी के बारे में निवेदन किए:—

1. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
2. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 382—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4364—4593 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.22 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुने समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वित्त वर्ष 2009-2010 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा।

(दो) वित्त वर्ष 2009-2010 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा।

(तीन) वित्त वर्ष 2010-2011 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा।

(2) (एक) रीज़नल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीज़नल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ग) के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम के 3 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या यू/एस 119(2)(ग) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) देना बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) आईडीबीआई बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) केनरा बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) कारपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) इंडियन बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पन्द्रह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) विजया बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) भारतीय स्टेट बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बीस) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इक्कीस) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बाईस) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेईस) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौबीस) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(7) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

(एक) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरगुजा

(दो) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पापूम-पेयर

(चार) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर

(पांच) सतलुज ग्रामीण बैंक, भटिंडा

(छह) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(सात) ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक, बरहमपुर

(आठ) एम॰जी॰बी॰ ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़

(नौ) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ

(दस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

(ग्यारह) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2010 जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 416(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 417(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 415(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर संदत्त शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 449(अ) जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून 2001 की अधिसूचना

संख्या 42/2001-के०उ०शु० (गै०टे०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) संशोधन विनियम, 2010 जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) संशोधन विनियम, 2010 जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 29 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारत में आवास, 2008 की प्रवृत्ति और प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायु सेना और नौसेना के बारे में मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11का संख्यांक 16)—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)।

(दो) आयुध निर्माणियों में भंडार और मशीनरी की खरीद के बारे में मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2010-11का संख्यांक 15)—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) आयुध निर्माणियां।

(14) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (टयूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्पों के लेबलों पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11/(5)03-बीईई-1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (रूम एयर कंडीशनरों के लेबलों पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11/(5)03-बीईई-2 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11(5)03-बीईई-3 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (घरेलू फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटरों के लेबलों पर विवरण तथा उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2009 जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11(5)03-बीईई-4 में प्रकाशित हुए थे।

(15) (एक) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफों और प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व के आकलन की प्रक्रिया) विनियम, 2010 जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/9/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (असूचीबद्ध अंतरपरिवर्तन प्रभार और अनुषंगी विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(1)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/14/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के लिए अंतर-राज्य पारेषण योजना के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/41/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/142/157/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य अनुषंगी विषय) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 7 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(सात) 3 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 की युक्तिका दी हुई है।

(आठ) 3 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(1)/2009-सीईआरसी जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (असूचीबद्ध अंतरपरिवर्तन प्रभार और अनुषंगी विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(नौ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य अनुषंगी विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/165(180)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों तथा हानि में हिस्सेदारी) विनियम, 2010 जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/44/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 13 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा शेष कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री नन्द कुमार साय के स्थान पर राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए राज्य सभा के सदस्य श्री के॰बी॰ शणप्पा के नाम की सूचना भी दी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010 पारित कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा 19 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 मई, 2010 को पारित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने उपभोक्ता मामले, खा़द्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के 'खाद्य सब्सिडी और इसका उपयोग' विषय पर खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2009-10) का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'एचएमटी इकाइयों की रुग्णता के कारण कामगारों के समक्ष आ रही समस्याएं' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

(2) 'वर्ष-2010-11 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

10. श्रम संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही विवरण

श्री हेमानंद बिसवाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वस्त्र मंत्रालय के 'देश में बुनकरों की सामान्य स्थिति—बुनकरों के सिरिसिल्ला, संक्रेन्द्रण जोन का मामला अध्ययन' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के 7वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय के 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन—कर्मचारी पेंशन योजना, 1995' के बारे में 39वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के लिए 'अनुदानों की मांगों' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के नौवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही वाला विवरण।

(4) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के लिए 'अनुदानों की मांगों' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति

(2009-2010) के बारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

11. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अन्नू टन्डन ने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अशोक तंवर ने 'शैक्षणिक अधिकरण विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 225वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयक में किए गए संशोधनों पर हुई सहमति

**व्यापार चिह्न (संशोधन)* विधेयक, 2009

श्री आनन्द शर्मा द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''साठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''इकसठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2, अंक ''2009'' **के स्थान पर** अंक ''2010'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 *बजे स्थगित हुई और*
अपराह्न 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

श्री आनन्द शर्मा द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

---

* लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2009 को विधेयक पारित किया गया और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 10 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को वापस कर दिया।

अपराह्न 2.03 बजे

#14. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 59 मिनट

श्री प्रबोध पांडा द्वारा 13 अगस्त, 2010 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 2010 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

जैसा कि नीचे पैरा 15 में सूचित किया गया है, चर्चा के पश्चात् संकल्प को अस्वीकृत किया गया।

#15. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा 13 अगस्त, 2010 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रही।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.07 बजे

(*लोक सभा शनिवार,* 21 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई*)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

\# एक साथ चर्चा की गई।

GMGIPMRND—4128LS(S4)—20-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 21 अगस्त, 2010/30 श्रावण, 1932 (शक)

संख्या 107

*पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा निवेदन

पूर्वाह्न 11.06 बजे

मस्जिदों के इमामों के वेतन तथा पारिश्रमिक के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री लालू प्रसाद ने मस्जिदों के इमामों के वेतन तथा पारिश्रमिक के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री अब्दुल रहमान सहयोजित हुए।

श्री सलमान खुर्शीद ने उत्तर दिया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने भी उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

* पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 19 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2010 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1)	श्री मधु कोड़ा	19.11.2009 से 21.12.2009 22.2.2010 से 16.3.2010 और 15.4.2010 से 07.05.2010	अनुपस्थिति की माफी दी गई।
(2)	श्री इज्यराज सिंह	26.07.2010 से 21.08.2010	अनुपस्थिति की माफी दी गई।

5. वित्तीय समितियां (2009-10)— एक समीक्षा

महासचिव ने ''वित्तीय समितियां (2009-10) — एक समीक्षा'' का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखा।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री इन्दर सिंह नामधारी ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंधन' के बारे में 62वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में टेलीविजन दर्शक मापन' के बारे में 67वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) "विद्युत क्षेत्र के लिए गैस और कोयले की उपलब्धता" के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(2) "ग्रामीण उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

पूर्वाह्न 11.53 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 50 मिनट

(एक) *स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक,* 2010

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री चंदूलाल साहू
2. डॉ॰ (कुमारी) गिरिजा व्यास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ॰ बलीराम

5. श्री अर्जुन चरण सेठी

6. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन

7. श्री एस॰ सेम्मलई

8. श्री संजीव गणेश नाईक

9. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

10. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 12.43 बजे

(दो) *खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,* 2010

लिया गया समय: 2 घंटे 47 मिनट

श्री बी॰के॰ हान्डिक की ओर से श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हंसराज गं॰ अहीर

2. श्री वी॰ किशोर चन्द्र देव

3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. डॉ॰ बलीराम

5. श्री शेख सैदुल हक
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
8. श्री अधीर रंजन चौधरी
9. श्री शरद यादव
10. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
11. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

11. प्रस्ताव

श्रीमती मीना सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 18 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.34 बजे

12. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — वापस लिया गया

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा 21 अप्रैल, 2010 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह वर्ष 2015 तक देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए:—

(एक) सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान करना;

(दो) ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब के कम-से-कम एक सदस्य को व्यवसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना;

(तीन) ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रुपए प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुम्ब पेंशन देना; और

(चार) ऐसे कुटुम्बों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क गुणवत्ताप्रद शिक्षा देना।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री निशिकांत दुबे
4. डॉ॰ बलीराम
5. चौधरी लाल सिंह
6. श्री एस॰ सेम्मलई
7. श्री अर्जुन राम मेघवाल
8. श्री सतपाल महाराज
9. श्री सुशील कुमार सिंह
10. श्री जगदीश ठाकोर
11. श्री रामकिशुन

श्री प्रदीप जैन ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सायं 5.56 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — विचाराधीन

डॉ॰ भोला सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बिहार राज्य में विकास की गति में तेजी लाने तथा इसे पिछड़ेपन से निपटने में सबल बनाने के उद्देश्य से इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.45 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 *अगस्त,* 2010 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.45 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4164LS(S4)—21-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 अगस्त, 2010/3 भाद्रपद, 1932 (शक)

संख्या 108

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—405 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 406—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4594—4823 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) 27 अगस्त, 2009 से 31 मार्च, 2014 (23 अगस्त, 2010 की स्थिति के अनुसार अद्यतन) तक की अवधि के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एण्ड हैण्डबुक ऑफ प्रोसिजर्स वाल्यूम I की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(2) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) नौवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1111(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने तथा संरक्षण के लिए अध्यक्ष और सदस्यों से युक्त उत्तराखण्ड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 1906(अ) जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत इसमें निहित शक्ति का कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रत्यायोजन किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 1907(अ) जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

(5) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउंडेशन फॉर रीवाईटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउंडेशन फॉर रीवाईटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के

वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत वि॰अ॰आ॰ (मानित विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 146 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें उनकी युक्तिका/शुद्धिपत्र दिया हुआ है जो 2 अगस्त, 2010 की अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 6–1(11)/2006(सीपीपी I) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम), जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम), जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अन्तर्संबंध (छठा संशोधन) विनियम, 2010, जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 6-7/2010-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 21 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक-सभा पटल पर रखा गया

नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (की-गई-कार्यवाही) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन

संबंधी स्थायी समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में; और

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।

(2) कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित वर्ष (2009-10) की अनुदानों की मांगों के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्री टी॰आर॰ बालू ने श्रीलंकाई तमिल आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

विदेशी मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विदेश मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

9. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 21 अगस्त, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराह्न 12.53 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010*

(दो) *संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010* (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

*(तीन) *संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010*

अपराह्न 1.02 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में खसरा, बी॰सी॰जी॰ और हैपेटाइटिस के टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान चार बच्चों की कथित मृत्यु के बारे में

श्रीमती सुशीला सरोज ने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में खसरा, बी॰सी॰जी॰ और हैपेटाइटिस के टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान चार बच्चों की कथित मृत्यु के बारे में निवेदन किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 2.15 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

#अपराह्न 12.54 बजे से अपराह्न 1.16 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*अपराह्न 1.17 बजे।

(1) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में पाला मनेरी और विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल-विद्युत परियोजना के निर्माण को पुनः आरम्भ किए जाने तथा लोहारी नागपाला विद्युत परियोजना का निर्माण जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दराबाद-बंगलौर, हैदराबाद/सिकन्दराबाद-गोवा और हैदराबाद/सिकन्दराबाद-महबूबनगर मार्गों पर यात्री गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली में पेय जल की कमी को पूरा करने के लिए यमुना नदी पर बराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ चरण दास महन्त द्वारा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरबा लोगों के उत्थान के लिए बनी विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गोमती नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पी॰टी॰ थॉमस द्वारा केरल के इदुक्की जिले के लिए एक पृथक् एनसीसी बटालियन का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दिलीप सिंह जूदेव द्वारा छत्तीसगढ़ के जसपुर, रायगढ़, सरगुजा जिलों के उन ग्रामीणों, जिनकी संपत्ति और फसल को जंगली हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है, को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के गुमला जिले में तंगीनाथ शिव मंदिर के उचित रखरखाव, देखभाल और सौन्दर्यीकरण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार राज्य में बरौनी तेलशोधक कारखाना से उत्पादित नेफ्था को राज्य के लघु और मध्यम उद्योगों को उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) प्रोफेसर (डॉ॰) रंजन प्रसाद यादव द्वारा बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पोटही रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्रासिंग पर एक स्थायी फाटक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चलती ट्रेनों से हाथियों और गैंडों के मारे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एम॰ वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर बांध की क्षतिग्रस्त नहरों और स्पिलवे की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.17 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 42 मिनट

परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010

श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जसवंत सिंह
2. श्री मनीष तिवारी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री धनंजय सिंह
5. श्री शरद यादव
6. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
7. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अधलराव शिवाजी पाटील
11. श्रीमती सुप्रिया सुले

12. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री गुरुदास दासगुप्त
15. डॉ॰ मनमोहन सिंह
16. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
17. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
18. श्री नरहरि महतो
19. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
20. श्री प्रेमदास राय
21. डॉ॰ तरुण मंडल

श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किया गया खण्ड 2 का संशोधन संख्या 19 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किए गए खण्ड 6 के संशोधन संख्या 20 पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम हां 26; नहीं 265; भाग नहीं लिया 02 रहा। तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 से 16 स्वीकृत हुए।

श्री जसवंत सिंह द्वारा पेश किया गया खण्ड 17 का संशोधन संख्या 24 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 से 34 स्वीकृत हुए।

खण्ड 35, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 36 से 45 स्वीकृत हुए।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेश किया गया खण्ड 46 का संशोधन संख्या 23 अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 46, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 से 49 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.59 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 26 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

GMGIPMRND—4257LS(S4)—25-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 अगस्त, 2010/4 भाद्रपद, 1932 (शक)

संख्या 109

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मदर टेरेसा की जन्मशती के अवसर पर एक उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—425 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 426—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4824—5053 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से तेल द्वारा प्रदूषण का निवारण) नियम, 2010 जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 329(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 29 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 643(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती किए जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अनन्यता) संशोधन विनियम, 2010 जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए निकायों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 605(अ) में प्रकाशित हुए थे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 2010 को पारित झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा ने 25 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने 'आशा संस्थाओं की कार्यदशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010 के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

9. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में 21वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2006-07)' के बारे में 22वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) खान मंत्रालय के "अवैध खनन का निवारण" विषय पर 27वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 28वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 29वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में 30वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(7) इस्पात मंत्रालय के ''राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा'' विषय पर 34वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 36वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(9) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 37वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(10) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के बारे में 38वें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय I और V में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***13. प्रस्ताव**

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा आज (26.08.2010) को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

अपराह्न 12.10 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित रोयापुरम रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा नई दिल्ली-लखनऊ और इलाहाबाद-नई दिल्ली मार्ग पर चलने वाली दूरंतो ट्रेन में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के शिवाकासी तालुक में पटाखा कारखाना में अचानक लगी आग की घटना में मारे गए पुलिस और राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धर्मस्थल, मार्कण्ड देवस्थान को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ पन्ना लाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित मॉडल स्कूलों को पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 2.30 बजे।

(7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान में हनुमानगढ़ से फलोदी बरास्ता अनुपगढ़–खजुवाला–गौडु तक के मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के निर्माण को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा महाराष्ट्र में सोलापुर जंक्शन और तुलजापुर के बीच रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा अधिसूचना में से निकाले गए, यायावरी और अर्द्ध–यायावरी जनजातियों से संबंधित रेणके आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई में चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने तथा उत्तर प्रदेश, कानपुर, के घाटमपुर में चीनी मिल का प्रचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफलाइटिस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कोयले पर रायल्टी मूल्य आधारित रूप से बिक्री मूल्य के 20% की दर से नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हिरण अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰ सेम्मलई द्वारा छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत तमिलनाडु के सेलम जिले में इडापाडी म्यूनिसिपल टाऊन में साराबंगा नहर पर एक सड़क पुल के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रबोध पांडा द्वारा छोटे स्टॉल होल्डरों और वेंडरों के हितों की रक्षा के लिए नई रेलवे खान–पान नीति, 2010 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.12 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 48 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने गृह मंत्री द्वारा 4 अगस्त, 2010 को सभा में जम्मू और कश्मीर में स्थिति के बारे में दिए गए वक्तव्य के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी
2. डॉ॰ (कु॰) गिरिजा व्यास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री शरद यादव
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. डॉ॰ मिर्जा महबूब बेग
7. श्री पी॰ करूणाकरन
8. श्री तथागत सत्पथी
9. श्री चंद्रकांत खैरे
10. श्री असादूद्दीन ओवेसी
11. श्री सी॰ राजेन्द्रन
12. डॉ॰ रतन सिंह अजनाला
13. डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.01 बजे

17. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 24 मिनट

(एक) *नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री एस॰ एम॰ कृष्णा की ओर से श्रीमती परनीत कौर द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
2. डॉ॰ गिरिजा व्यास
3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. डॉ॰ बलीराम

5. श्री कौशलेन्द्र कुमार

6. श्री शेख सैदुल हक

7. श्री तथागत सत्पथी

8. श्री एस॰ सेम्मलई

9. श्री जगदानंद सिंह

10. श्री नरहरि महतो

11. डॉ॰ भोला सिंह

12. श्री मोहम्मद असरारूल हक

13. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

14. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

15. डॉ॰ तरुण मंडल

16. श्री प्रेम दास राय

17. श्री ओम प्रकाश यादव

18. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

श्रीमती परनीत कौर ने वाद–विवाद का उत्तर दिया।

श्रीमती परनीत कौर द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 44 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती परनीत कौर द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.25 बजे

(दो) *शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010*

लिया गया समय: 2 घंटे 36 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी
2. श्री सन्दीप दीक्षित
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. श्री जे॰ हेलन डेविडसन
7. श्री पी॰के॰ बिजू
8. श्री मोहन जेना
9. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
10. श्री के॰ सुगुमार
11. श्री बिभू प्रसाद तराई
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. डॉ॰ के॰ सांबासिवा राव
14. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
15. डॉ. तरुण मंडल

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 55 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 9.43 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 27 अगस्त, 2010 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

*रात्रि 9.02 बजे से रात्रि 9.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4304LS—26-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 27 अगस्त, 2010/5 भाद्रपद, 1932 (शक)

संख्या 110

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441—443 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 444—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5054—5283 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत दमन और दीव प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 जो 21 अगस्त, 2009 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/डीसी/होम/7/डीडीपीएसएआर/2009-2010/42 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 2010 जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 629(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1862(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1863(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1864(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1865(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(15) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) भर्ती

नियम, 2010 जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 459(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 23 के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010, जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 657(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्रा बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(18) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ''कूका आन्दोलन के 150 वर्ष'' के अवसर पर एक सौ रुपए और पांच रुपए के स्मारक सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ''मदर टेरेसा की जन्मशती'' के अवसर पर एक सौ रुपए और पांच रुपए के स्मारक सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 668(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ''सी॰ सुब्रमणियम जन्मशती'' के अवसर पर एक सौ रुपए और पांच रुपए के स्मारक सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 1 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 के अंतर्गत शोध्य ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के दुर्व्यवहार या अक्षमता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2010 जो 12 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 595(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क)(एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 16 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰1(2)/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 20 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी॰1(1)/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(28) (एक) सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एण्ड एम्पावरमेंट रिहैबिलीटेशन ऑफ ऑल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एण्ड एम्पावरमेंट रिहैबिलीटेशन ऑफ ऑल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 29 अक्तूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73ख के अंतर्गत जारी अन्य हिताधिकारी तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा स्कीम, 2010 जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 654(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो

17 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 115 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना तथा प्रचालन) विनियम, 2010 जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 502/6/2009/डीपी एण्ड डी/डी-1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/एक्स/एसडीडी (ग्रिड)/जीएम/सीईए में प्रकाशित हुए थे।

(35) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषध और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 602(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1855(अ) जो 29 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2010 को ऐसे दिन के रूप में नियत किया गया है जब, उसमें उल्लिखित, उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 488(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा, के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा, के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कुमाराक्रुप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमाराक्रुप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलीटीज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलीटीज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰ आ॰ 1313 (अ) जो 3 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख (पोरबंदर से राजकोट, राजकोट से बामनबोर खण्ड) को गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का॰ आ॰ 1620 (अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद से कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश सीमा खण्ड) को आन्ध्र प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तीन) का॰ आ॰ 1298 (अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7ख (हैदराबाद से

कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश सीमा खण्ड) को आन्ध्र प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का॰ आ॰ 1340 (अ) जो 8 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद से कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश सीमा खण्ड) को आन्ध्र प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का॰ आ॰ 1244 (अ) जो 28 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (अमृतसर-वाघा सीमा खण्ड) को पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का॰ आ॰ 881 (अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सात) का॰ आ॰ 1339 (अ) जो 8 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से शिवपुरी-भोगनीपुर खण्ड) और 2 (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर खण्ड) को उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(68) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1905(अ) जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमि अर्जन अधिकारी, झारसुगुडा को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 पर भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(69) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 84/2010-सी॰शु॰ जो 27 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 13/2010-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 26 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 अगस्त, 2010 को यथापारित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री इन्दर सिंह नामधारी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे और पांचवें सत्र के दौरान आयोजित पांचवीं से नौवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ बलीराम ने 19 अगस्त, 2010 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री विष्णु पद राय ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध के बारे में नौवां और दसवां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अन्नू टंडन ने ''एचआईवी/एड्स की शिकार महिलाएं'' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2009-10) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनंत कुमार ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी॰आर॰ बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल संपत्ति तथा यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा' के बारे में आठवां प्रतिवेदन, और

(2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें—2010-11' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री ने झारखण्ड बजट, 2009-10 से संबंधित सामान्य चर्चा के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) शहरी विकास मंत्री की ओर से शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड'' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (i) 'ग्रामीणों को अन्यत्र बसाना' के बारे में सर्वश्री आनंद प्रकाश परांजपे और वरुण गांधी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 49 के संबंध में 28.07.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रमंडल खेल-2010 के दौरान पर्यटन अवसंरचना तथा पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाओं का विकास'' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 149वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

@अपराह्न 12.12 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

अपराह्न 12.20 बजे

(एक) *औरंगाबाद, बिहार में माओवादियों द्वारा संसद सदस्य को जान से मारने की कथित धमकी के बारे में*

श्री शरद यादव और श्री सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद, बिहार में माओवादियों द्वारा संसद सदस्य को जान से मारने की कथित धमकी के बारे में निवेदन किए।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ॰ राजन सुशांत, श्री देवजी एम॰ पटेल और श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट सहयोजित हुए।

@अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अजय माकन ने उत्तर दिया।

अध्यक्ष ने भी सदस्यों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की और यह टिप्पणी की कि उन सदस्यों, विशेष रूप से जिन्हें बहुत अधिक खतरा है, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अध्यक्ष ने निदेश दिया कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

अपराह्न 12.45 बजे

(दो) *राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संसद सदस्यों को पास जारी किए जाने के लिए विवरण मांगने से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री दारा सिंह चौहान और श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संसद सदस्यों को पास जारी किए जाने के लिए विवरण मांगने से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.51 बजे

13. सरकारी विधेयक —— पारित

(एक) *विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 2 घंटे 17 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री अजय माकन द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:——

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री पी॰ टी॰ थॉमस
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ॰ बलीराम
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. डॉ॰ रत्ना डे नाग
7. श्री आर॰ थामराईसेलवन
8. एडवोकेट ए॰ सम्पत
9. श्री रुद्रमाधव राय

10. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
11. श्री प्रबोध पांडा
12. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
13. डॉ॰ पन्ना लाल पुनिया
14. श्री धनंजय सिंह
15. श्री प्रेम दास राय

श्री अजय माकन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री अजय माकन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 17 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 23 स्वीकृत हुए।

खण्ड 24 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 से 54 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अजय माकन द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.09 बजे

लिया गया समय : 1 घंटा 26 मिनट

(दो) *संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010*

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. डॉ॰ रामचन्द्र डोम
3. श्री संजय निरूपम
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री धनंजय सिंह
6. श्री शरद यादव
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
9. डॉ॰ एन॰ शिवप्रसाद
10. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

श्री पवन कुमार बंसल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री पवन कुमार बंसल द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पवन कुमार बंसल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.34 बजे

14. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

आवंटित समय	:	1 घंटा
लिया गया समय	:	2 मिनट
शेष	:	58 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री पी॰ चिदम्बरम की ओर से श्री अजय माकन द्वारा पेश किया गया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.36 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे 51 मिनट

सभापति ने सभा को सूचित किया कि श्री अनंत कुमार हेगड़े, जिनके द्वारा देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ की जानी थी, ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उनकी ओर से श्री नवजोत सिंह सिद्धू को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।

तद्नुसार, श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती अन्नू टन्डन
2. श्रीमती उषा वर्मा
*3. श्री सी॰ शिवासामी
4. श्री दारा सिंह चौहान
*5. श्री सतपाल महाराज
6. श्री विश्व मोहन कुमार
*7. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
8. श्री पुलीन बिहारी बासके
*9. श्री अर्जुन राम मेघवाल
10. श्री नित्यानंद प्रधान
11. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
12. श्री पी॰ कुमार
13. श्री रमेश राठौड़
14. श्री योगी आदित्यनाथ
*15. श्री मिथिलेश कुमार
16. डॉ॰ ज्योति मिर्धा
*17. श्री पन्ना लाल पुनिया

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

18. श्री प्रबोध पांडा
19. श्री जगदानंद सिंह
*20. श्री शैलेन्द्र कुमार
*21. श्री वीरेन्द्र कश्यप
22. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
*23. श्री आर॰ के॰ सिंह पटेल
*24. श्री अशोक अर्गल
25. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
*26. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
27. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी
28. श्री विजय बहुगुणा
*29. श्री वीरेन्द्र कुमार
*30. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
31. श्रीमती भावना गवली पाटील
32. श्री नारायण सिंह अमलाबे
33. श्री जगदम्बिका पाल
34. डॉ॰ तरूण मंडल
35. श्री हेमानंद बिसवाल
36. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.49 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 7.27 बजे से सायं 7.49 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4329LS—27-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 अगस्त, 2010/8 भाद्रपद, 1932 (शक)

संख्या 111

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 27 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 2010 को पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

2. अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 122वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट

महासचिव ने 27 मार्च से 1 अप्रैल, 2010 तक बैंकॉक (थाइलैंड) में हुई अन्तर-संसदीय संघ की 122वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट

गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के मिर्चपुर गाँव, जिला हिसार, हरियाणा के 2 जुलाई, 2010 के तत्स्थानिक अध्ययन दौरे की रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

#4. **कृषि संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बसुदेव आचार्य ने ''संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009'' के बारे में कृषि संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

मध्याह्न 12 बजे।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के बारे में*

श्रीमती सुषमा स्वराज ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

*(दो) *शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के उपबंधों के बारे में*

श्री मुलायम सिंह यादव और श्रीमती सुषमा स्वराज ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के उपबंधों के बारे में निवेदन किए।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 पुनः समवेत हुई)

**(तीन) *महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्व॰ श्री राजगुरु के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में*

श्री भर्तृहरि महताब ने महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्व॰ श्री राजगुरू के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

डा॰ तरुण मंडल और श्री हंसराज गं॰ अहीर सहयोजित हुए।

श्री वी॰ नारायणसामी ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.01 बजे से अपराह्न 12.15 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**सायं 7.19 बजे

मध्याह्न 12.00 बजे

#7. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) *बांध सुरक्षा विधेयक,* 2010

(दो) *प्रौद्योगिकी सस्थान (संशोधन) विधेयक,* 2010

$(तीन) *प्रत्यक्ष कर संहिता,* 2010

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपाह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

*अपराह्न 2.20 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्री संजय निरूपम ने भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता की ओर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री जगदम्बिका पाल ने उक्त विषय पर स्पष्टीकरण मांगे।

वित्त मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से, सर्वश्री लाल चन्द कटारिया, डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय, पन्ना लाल पुनिया, अर्जुन राम मेघवाल, राम सिंह कस्वां और देवजी एम॰ पटेल सहयोजित हुए।

अपराह्न 2.53 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ अलागिरि द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और शीत गृह खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 12.16 बजे

$अपराह्न 2.52 बजे

*अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 2.20 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

(2) श्री राजय्या सिरिसिल्ला द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची का उपयुक्त संशोधन कर जल को समवर्ती सूची या संघ सूची के विषय के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा उत्तर प्रदेश के वसुंधरा, गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का एक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल में अलप्पुझा बाईपास परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के अलप्पुझा जिले के कुट्टानाडु तालुक में बीएसएनएल लैंड लाइन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विजय बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में बादल फटने, भयंकर वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध उत्प्रवासन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा गोवा में बड़ी संख्या में आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाएं, जो अन्यत्र स्थापित की जानी है, के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4-क के चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में केन्द्रीय सरकार और रेलवे के अस्पतालों को खोले जाने और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों से बॉक्साइट डम्पिंग यार्ड को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के सथावन, वाराणसी में क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर संभावित दुष्प्रभाव को देखते हुए, प्रस्तावित जल-मल शोधन संयंत्र की स्थापना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और कालीन निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री ई॰जी॰ सुगावनम द्वारा तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में कलेक्टरेट ऑफिस के पास वाले टॉल टैक्स सेंटर को शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा केरल के त्रिचूर जिले को धरोहर जिले के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री यशवंत एन॰एस॰ लागुरी द्वारा उड़ीसा के क्योंझर में 'सेल' का एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ तरूण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.54 बजे

10. सरकारी विधेयक – विचाराधीन – आस्थगित

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

अपराह्न 3.05 बजे

11. सरकारी विधेयक – आस्थगित

(एक) *उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक,* 2010

(दो) *संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक,* 2010
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

अपराह्न 3.06 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 20 मिनट

(एक) श्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा 27 अगस्त, 2010 को देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे:

1. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
2. श्री हंसराज गं॰ अहीर
3. श्रीमती ज्योति धुर्वे
4. श्री नारनभाई कछाड़िया
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री राम सिंह कस्वां
7. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 3.36 बजे

लिया गया समय: 6 घंटे 02 मिनट

(दो) श्री गोपीनाथ मुंडे द्वारा 19 अगस्त, 2010 को देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री अशोक तंवर
3. श्री प्रेमदास कथीरिया
4. श्री रमाशंकर राजभर
5. श्री भूदेव चौधरी

*6. श्री नारनभाई कछाड़िया

*7. श्री राम सिंह कस्वां

8. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

9. श्री अर्जुन राम मेघवाल

10. श्री जगदम्बिका पाल

11. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

12. श्री मधु कोड़ा

13. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी

14. डॉ॰ तरुण मंडल

15. श्रीमती सुशीला सरोज

*16. श्री हंसराज गं॰ अहीर

17. श्री पकौड़ी लाल

*18. डॉ॰ विनय कुमार पाण्डेय

*19. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा

*20. श्री अशोक रावत

21. श्री विष्णुपद राय

*22. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*23. श्री चार्ल्स डिएस

*24. श्री सतपाल महाराज

श्री पी. चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.54 बजे

13. आधे घंटे की चर्चा

श्री रुद्रमाधव राय ने उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में 5.8.2010 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 162 के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर चर्चा उठाई।

श्री श्रीकांत जेना ने चर्चा का उत्तर दिया।

*सायं 7.27 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 31 अगस्त, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.31 बजे से सायं 7.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4381LS(S4)—30-08-2010.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 31 अगस्त, 2010/9 भाद्रपद, 1932 (शक)

संख्या 112

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं और आठवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती उषा चौधरी और सातवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री कल्पनाथ सोनकर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004–2005 से 2008–2009; पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च के वर्ष 2008–2009 तथा रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्षों के समाप्त होने के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 27 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में 17 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा यथापारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा 30 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में 25 अगस्त, 2010 को लोक सभा द्वारा यथापारित परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि राज्य सभा ने 30 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित कर दिया है।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डा॰ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2010–2011) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रक्षा, वित्त, गृह और रेल मंत्रालयों से संबंधित ''स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों पर अधिशेष (2008–2009)'' के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित ''निर्यात अवसंरचना तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का विकास करने संबंधी स्कीम (ए एस आई डी ई) के लिए राज्यों को सहायता'' के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2008 का संख्यांक 11सीए) के पैरा 14.7.1 के आधार पर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड—मानदण्डों से अधिक बेसिक सेडिमेन्ट और वाटर कंटेन्ट वाले क्रूड की बिक्री के कारण हानि के बारे में 32वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-11) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) मेरठ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे पशुवधशाला (कमेला) में पशुओं के वध के कारण हुए जल तथा वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव तथा संबंधित विषयों के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

(2) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गेवरा/दीपिका क्षेत्रों में हजारों करोड़ रु० के कोयले की भारी मात्रा की चोरी तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने को नियमित करने वाले दिशानिर्देशों में कमजोर और मध्यम वर्गों के युवाओं को अनदेखा किए जाने के बारे में अभ्यावेदनों के संबंध में 39वें और 45वें प्रतिवेदनों (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) एचएफसीएल, हल्दिया के कर्मचारियों के बकाया भुगतान न होने तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर रूपनारायण नदी पर पुल के निर्माण में विलम्ब के संबंध में अभ्यावेदनों के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कंपनी विधेयक, 2009 के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) सिक्का निर्माण विधेयक, 2009 के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(3) कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

(5) लागत और संकर्म लेखाकार (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

9. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)—आभूषण की हॉलमार्किंग' विषय के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'चीनी का उत्पादन, खपत और मूल्य निर्धारण' विषय के बारे में दसवां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(एक) प्रोटोकॉल सहित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान को रोकने और मौजूदा करार का संशोधन करने के लिए भारत गणराज्य तथा स्विस फेडरल काउंसिल के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया जाना।

(दो) वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित ''कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह'' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 78वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विदेश मंत्री ने ''बाढ़ राहत के लिए पाकिस्तान को 25 मिलियन यूएस डालर की सहायता की भारत की पेशकश'' के बारे में वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

11. ध्यानाकर्षण

(एक) श्री टी॰ आर॰ बालू ने श्रीलंका के नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हाल ही में किए गए हमलों से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

विदेश मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 12.01 बजे

(दो) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों का हवाला देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा चावल की किस्म पीएयू-201 के 40 लाख टन चावल को अस्वीकार किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.24 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) *जाति-आधारित जनगणना के बारे में*

निम्नलिखित सदस्यों ने जाति-आधारित जनगणना के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. श्री गोपीनाथ मुंडे
4. श्री दारा सिंह चौहान

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.47 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

#(दो) *देश में गरीब लोगों को खाद्यान्नों के नि:शुल्क वितरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बारे में*

---

*अपराह्न 12.24 बजे से अपराह्न 12.47 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 2.21 बजे से अपराह्न 3.12 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में गरीब लोगों को खाद्यान्नों के नि:शुल्क वितरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री शरद यादव
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री गोपीनाथ मुंडे
6. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
7. श्री अर्जुन चरण सेठी
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्री रतन सिंह अजनाला

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 2.45 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.00 *बजे पुन: समवेत हुई*)

अपराह्न 3.00 बजे

10. श्री लालू प्रसाद
11. श्री बसुदेव आचार्य
12. श्री चन्द्रकांत खैरे
13. श्री संजय सिंह चौहान

श्री शरद पवार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.00 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ टी॰ थॉमस द्वारा बैंकों द्वारा विभिन्न ऋणों पर लगाए जा रहे ब्याज दरों में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा देश में गरीबी उपशमन के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री महाबल मिश्रा द्वारा सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' स्कीम लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा झालावाड़ होते हुए रामगंजमंडी और उज्जैन के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में भेड़ बीमा योजना पर दी जा रही सेवा कर की छूट की अवधि को 31.12.2012 तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एम॰ आई॰ शानवास द्वारा केरल के वायनाड जिले में किसानों की जान-माल और कृषि उत्पादों के लिए खतरा बनते जा रहे जंगली जानवरों के उपद्रव को नियंत्रित करने तथा किसानों द्वारा उठाए जा रहे आवर्ती घाटों के लिए नियमित क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश में गुड़ीहाटनूर गांव, आदिलाबाद जिले से ओडा रेवु प्रकाशम जिले तक एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा देश में विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों, पिछड़े और भूमिहीन व्यक्तियों को दिए जा रहे ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान में विभिन्न रेलवे समपारों पर रेल अधोपुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में शिक्षा के वाणिज्यीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59क (इन्दौर-बैतुल) को चार लेन वाला बनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद, पाटन और मेहसाणा जिलों में केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राकेश सचान द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने तथा उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गंगा नदी के कारण हुए मृदा अपक्षरण को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एम॰ आनंदन द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एसालम और पेरियाथचूर गांवों के बीच एक पुलिया का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

14. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) *भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 1 घंटा 23 मिनट

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजन सुशान्त

#अपराह्न 3.13 बजे

2. श्री पी॰सी॰ चाको
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
*5. डॉ किरीट पी॰ सोलंकी
6. श्री प्रताप सिंह बाजवा
7. श्री मंगनी लाल मंडल
*8. श्री पी॰डी॰ राय

#अपराह्न 2.21 बजे से 3.12 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*9. श्री पी॰एल॰ पुनिया

*10. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)

*11. श्री एस॰ सेम्मलई

*12. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*13. डॉ॰ तरुण मंडल

*14. श्री संजय भोई

15. श्री एस॰आर॰ जेयदुरई

16. श्री चन्द्रकांत खैरे

*17. श्री अर्जुन राम मेघवाल

18. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह

*19. श्री अमरनाथ प्रधान

*20. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार

*21. डॉ॰ निलेश एन॰ राणे

22. श्री पुलीन बिहारी बास्के

*23. श्री भर्तृहरि महताब

*24. श्री हंसराज गं॰ अहीर

*25. डॉ॰ प्रभा किशोर ताविआड

श्री गुलाम नबी आजाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.16 बजे

(दो) *लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय : 56 मिनट

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री उदय सिंह
2. श्री पी॰टी॰ थॉमस
3. श्री लालू प्रसाद
4. श्री मुलायम सिंह यादव
*5. श्री पन्ना लाल पुनिया
*6. डॉ॰ राजन सुशांत
*7. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)
8. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
*9. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
*10. श्री अर्जुन राम मेघवाल
*11. श्री एस॰ सेम्मलई
12. श्री अर्जन राय
13. श्री टी॰के॰एस॰ इलेंगोवन
*14. श्री नवीन जिन्दल
15. श्री पी॰ करुणाकरन
*16. श्री रतन सिंह
17. श्री भर्तृहरि महताब
*18. श्री एंटो एंटोनी
*19. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*20. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*21. श्री जगदम्बिका पाल

*22. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू

*23. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक

डा॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

डा॰ एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा॰ एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.12 बजे

15. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पंद्रहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 5.22 बजे

16. राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 5.23 बजे

(लोक सभा अपराह्न 5.23 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—4417LS(S4)—31-08-2010.